कृषि और खाद्य प्रबंधन

07
अध्याय

பலகுடை நீழலும் தங்குடைக்கீழ்க் காண்பர்
அலகுடை நீழ லவர்

कृषक बिन निज स्वार्थ से, लोक का भरण करता है
और इस सम्पूर्ण जगत के जीवों को, अपनी इस सत्ता के आश्रय में ले आता है।
–तिरुवल्लुवर

भारत के कृषि क्षेत्र की लचीलता इस तथ्य से स्पष्ट है कि कोविड-19 महामारी फैलने के बावजूद उत्पादन के मामले में इसका प्रदर्शन बहुत ही शानदार रहा। एक अनुमान (वर्ष 2011 की जनगणना) के मुताबिक, आज भी देश का लगभग 54.6 प्रतिशत कार्यबल कृषि कार्य और संबद्ध क्षेत्र की गतिविधियों में संलग्न है, जो देश के सकल योजित मूल्य (जीवीए) वर्ष 2019-20 (मौजूदा कीमतों पर) के लगभग 17.8 प्रतिशत के बराबर है। कोविड की वजह से लागू लॉकडाउन द्वारा उत्पन्न कठिनाइयों ने गैर-कृषि क्षेत्र के प्रदर्शन को प्रतिकूल ढ़ंग से प्रभावित किया, तथापि वर्ष 2020-21 (प्रथम अग्रिम अनुमान) के दौरान स्थिर कीमतों पर कृषि क्षेत्र ने 3.4 प्रतिशत की दमदार विकास दर हासिल किया। आत्म-निर्भर भारत अभियान के अंतर्गत शुरू किए गए विभिन्न उपायों जैसे ऋण, बाजार में सुधार और खाद्य प्रसंस्करण से इस उद्योग में नवीन स्फूर्ति आई। पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन सहित संबद्ध क्षेत्रों में विकास की गति तेज करने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपाय संबद्ध क्षेत्रों की क्षमता का दोहन करने के इसके संकल्प को प्रदर्शित करते है जो अंततोगत्वा कृषि क्षेत्र के कल्याण व खाद्य और पोषण सुरक्षा को बढ़ावा देने में मददगार साबित होगी। खाद्य पदार्थों की उत्पादकता और विपणन को बढ़ाने के लिए विभिन्न उपाय करने के अलावे, सरकार खाद्य सब्सिडी के संदर्भ में महत्वपूर्ण वित्तीय निहितार्थ के साथ एक विशाल खाद्य प्रबंधन कार्यक्रम भी संचालित करती है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अधीन, 80.96 करोड़ लाभार्थियों को अतिरिक्त खाद्यान्न उपलब्ध कराया गया था, अर्थात एनएफएसए द्वारा अनुमोदित आवश्यकता से अधिक। इस योजना के अंतर्गत प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम खाद्यान्न प्रति माह की दर से नवंबर 2020 तक मुफ्त में उपब्ध कराया गया था। लगभग 200 एलएमटी खाद्यान्न उपलब्ध कराया गया था जिसपर सरकार को 7500 करोड़ रूपए से अधिक खर्च करने पड़े। साथ ही, आत्म-निर्भर पैकेज के अंतर्गत, प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम खाद्यान्न प्रति माह की दर से चार महीनों (मई से अगस्त) तक वितरित किया गया था। इस योजना का लाभ लगभग 8 करोड़ प्रवासी मजदूरों को मिला जो एनएफएसए या राज्य राशन कार्ड के अधीन लाभार्थी नहीं थे। सरकार ने इस योजना पर सब्सिडी के रूप में लगभग 3109 करोड़ रूपए खर्च किए।

परिचय

7.1 कोविड-19 जैसी वैश्विक महामारी ने संपूर्ण विश्व में लोगों के जीवन को प्रभावित किया है और भारत भी इसका अपवाद नहीं है। कृषि कार्यों और किसानों को भी इस वैश्विक महामारी का दंश झेलना पड़ा क्योंकि कोविड की वजह से लगाए गए लॉकडाउन ने कृषि मशीनरी सहित कृषि आदानों के एक-स्थान से दूसरे स्थान तक परिवहन को प्रभावित किया। रबी फसल के कटाई के मौसम के शुरू होने के साथ ही राष्ट्रीय लॉकडाउन घोषित किया गया, जिसकी वजह से इस क्षेत्र को और अधिक कठिनाईयों का सामना करना पड़ा। लॉकडाउन के दौरान प्रवासी कृषि श्रमिकों के उनके मूल निवास स्थान पर वापस लौटने की वजह से कृषि क्षेत्र को श्रमिकों की कमी का सामना करना पड़ा। हालाँकि भारतीय कृषि प्रणाली ने ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियों में लचीलता दिखाई। अन्य क्षेत्रों के कमजोर प्रदर्शन के मध्य वर्ष 2020-21 के दौरान सतत कीमतों पर 3.4 प्रतिशत के विकास दर के साथ कृषि तथा संबद्ध क्षेत्र एकमात्र उज्ज्वल स्थान थी। कोविड-19 महामारी के कारण सभी प्रतिकूल स्थितियों के साथ, कृषि वस्तुओं, विशेष रूप से चावल, गेहूं, दाल और सब्जियों जैसे खाद्य पदार्थों की निरंतर आपूर्ति की वजह से खाद्य सुरक्षा बनी रही। कृषि क्षेत्र को आगे सशक्त बनाने तथा सहयोग करने के लिए, भारत सरकार ने आत्म-निर्भर भारत अभियान के अंतर्गत अनेक कार्यक्रम शुरू किए हैं (बॉक्स 1)।

बॉक्स 1: आत्म-निर्भर भारत अभियान के अंतर्गत कृषि तथा खाद्य प्रबंधन के लिए मुख्य घोषणाएँ

घोषणाएँ	उद्देश्य
₹ 1 लाख करोड़ की कृषि अवसंरचना निधि	फार्म-गेट और संग्रहण बिंदु पर कृषि अवसंरचना परियोजनाओं के साथ-साथ कटाई के बाद वित्तीय रूप से व्यवहार्य प्रबंधन अवसंरचना के वित्तपोषण के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी।
सूक्ष्म खाद्य उद्यमों को औपचारिक रूप देने के लिए ₹ 10,000 करोड़ की योजना (एमएफई)	एफएसएसएआई खाद्य मानकों को प्राप्त करने के लिए तकनीकी उन्नयन, ब्रांड का निर्माण करने और विपणन में सहयोग देने के लिए एमएफई को 2 लाख की वित्तीय सहायता दी जाएगी।
प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पीएमएमएसवाई) के माध्यम से मछुआरों के लिए ₹ 20,000 करोड़।	इसका उद्देश्य मछली पकड़ने के लिए बंदरगाह, कोल्ड चेन, बाजार इत्यादि जैसे अवसंरचनाओं को विकसित करके समुद्री और अंतर्देशीय मत्स्यपालन का एकीकृत, सतत् और समावेशी विकास करना है।
राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम	इसका लक्ष्य मवेशियों, भैंस, बकरी तथा सूअरों का 100 टीकाकरण सुनिश्चित करते हुए पैर और मुंह की बीमारी (एफएमडी) और ब्रसेलोसिस को नियंत्रित करना है।
पशुपालन अवसंरचना विकास निधि - ₹ 15,000 करोड़।	यह डेयरी प्रसंस्करण में निजी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए है, जिसका लक्ष्य मूल्य जोड़ने के साथ मवेशियों के लिए चारे की व्यवस्था के लिए अवसंरचना की उपलब्धता सुनिश्चित करना शामिल हैं।
'टॉप' से टोटल तक	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) द्वारा परिचालित ऑपरेशन्स ग्रीन्स" को टमाटर, प्याज और आलू से सभी फलों तथा सब्जियों तक प्रसारित करना।
आवश्यक वस्तु अधिनियम, कृषि विपणन और कृषि उपज मूल्य निर्धारण और गुणवत्ता आश्वासन में सुधार।	विधायिका का सुधार कृषि जिंसों जैसे अनाजों, दालों, तिलहनों आदि को अनिवार्य वस्तुओं की सूची से अलग करना चाहती है, जिसका लक्ष्य कृषि विपणन में सुधार करना तथा अनुबंध विपणन को प्रोत्साहित करना है।

घोषणाएँ	उद्देश्य
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना	इस योजना का उद्देश्य लगभग 80 करोड़ राशन कार्ड-धारकों की खाद्य तथा पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करना है, जो कोविड द्वारा प्रेरित लॉकडाउन की वजह से प्रभावित हो गया था।
एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना	इस योजना का लक्ष्य प्रवासी मजदूरों तथा उनके परिवार के सदस्यों को देश में किसी भी उचित मूल्य की दुकान से पीडीएस लाभ दिलवाना है।

कृषि क्षेत्र का सिंहावलोकन

कृषि क्षेत्र में जोड़ा गया सकल मूल्य

7.2 सीएसओ द्वारा 29 मई को जारी किए गए राष्ट्रीय आय के अस्थायी अनुमान के अनुसार, वर्ष 2019-20 के लिए मौजूद कीमतों पर देश के सकल योजित मूल्य (जीवीए) में कृषि तथा संबद्ध क्षेत्रों का योगदान 17.8 प्रतिशत हैं। कृषि तथा संबद्ध क्षेत्रों का जीवीए तथा विगत छ वर्षों के दौरान देश के सकल जीवीए में मौजूदा कीमतों पर गत छः वर्षों के दौरान कृषि तथा संबद्ध क्षेत्रों के हिस्सेदारी का उल्लेख तालिका 1 में किया गया हैं।

तालिका 1: देश के सकल जीवीए में मौजूदा दरों पर कृषि तथा संबद्ध क्षेत्रों के हिस्सेदारी

मद	वर्ष					
	2014-15	2015-16	2016-17*	2017-18#	2018-19@	2019-20**
सकल अर्थव्यवस्था के जीवीए में कृषि तथा संबद्ध क्षेत्रों के हिस्सेदारी (प्रतिशत)	18.2	17.7	18.0	18.0	17.1	17.8
फसलों की हिस्सेदारी	11.2	10.6	10.6	10.4	9.4	NA
पशुपालन की हिस्सेदारी	4.4	4.6	4.8	5.1	5.1	NA
वानिकी और लॉगिंग की हिस्सेदारी	1.5	1.5	1.5	1.4	1.3	NA
मछली पकड़ने तथा मत्स्यपालन की हिस्सेदारी	1.0	1.1	1.1	1.2	1.2	NA

स्रोत: कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग (डीएसी-एफडब्ल्यू)।

नोट: **दिनांक 29 मई 2020 को सीएसओ द्वारा वार्षिक राष्ट्रीय आय 2019-20 के लिए जारी किए गए अस्थायी आकड़ों के अनुसार। @ 31 जनवरी 2020 को जारी किए गए वर्ष 2018-19 के लिए राष्ट्रीय आय, उपभोग व्यय, बचत और पूंजी निर्माण के पहले संशोधित अनुमानों के अनुसार। #दूसरा संशोधित अनुमान। *तीसरा संशोधित अनुमान।

NA डाटा उपलब्ध नहीं है।

7.3 देश के जीवीए में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों का हिस्सा वर्ष 2014-15 के 18.2 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2019-20 में केवल 17.8 प्रतिशत रह गया (चित्र 1) जो एक ऐसी विकास प्रक्रिया का अपरिहार्य परिणाम है जिसमें गैर-कृषि क्षेत्रों का सापेक्ष प्रदर्शन अधिक प्रभावी हो जाता है। कृषि क्षेत्र के भीतर, फसलों तथा वानिकी का हिस्सा वर्ष 2014-15 के 11.2 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2018-19 में केवल 9.4 प्रतिशत रह गया। पशुपालन तथा मत्स्यपालन उद्योग के हिस्सेदारी में वृद्धि ने फसल क्षेत्र के हिस्से में कमी की क्षतिपूर्ति की है।

चित्र 1: मौजूदा कीमतों पर देश के सकल जीवीए में कृषि तथा संबद्ध क्षेत्रों का योगदान (प्रतिशत में)*

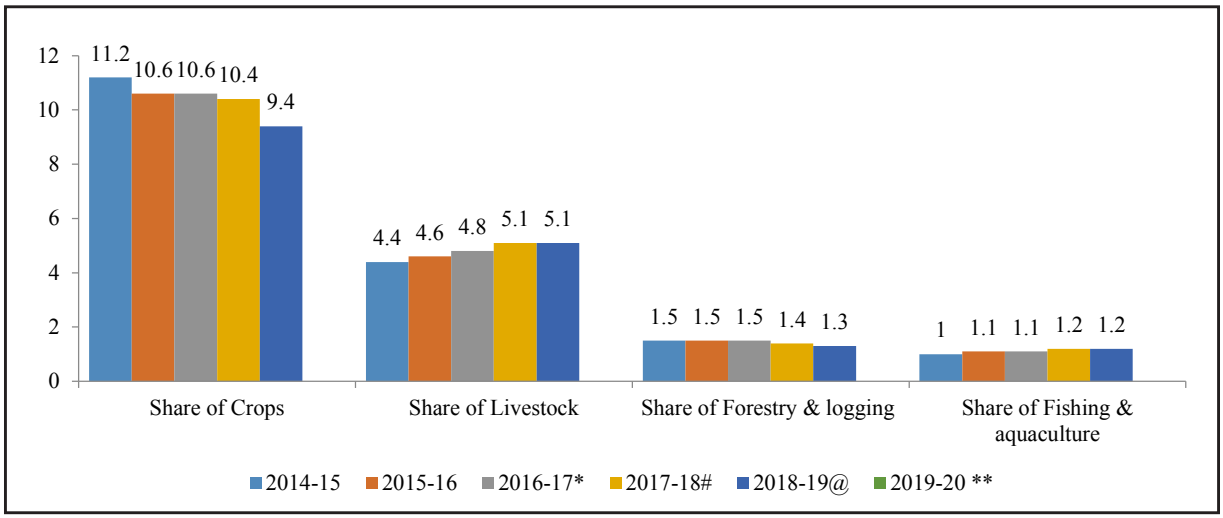

स्रोत: तालिका 1 के आकड़ों से तैयार की गई है।

*आलेख में वर्षों के साथ संलग्न सभी संकेत तालिका 1 में दिए गए आकड़ों का ही प्रतिनिधित्व करते हैं।

कृषि तथा संबद्ध क्षेत्रों में विकास

7.4 समय बीतने के साथ कृषि तथा संबद्ध क्षेत्रों का जीवीए के विकास दर में उतार-चढ़ाव आता रहा हैं (चित्र 2)। हालाँकि, वर्ष 2020-21 के दौरान यदपि संपूर्ण अर्थव्यवस्था के लिए जीवीए 7.2 प्रतिशत की दर से सिकुड़ गया; तथापि कृषि क्षेत्र के लिए जीवीए के विकास ने 3.4 प्रतिशत की सकारात्मक वृद्धि दर बनाएं रखी।

चित्र 2: स्थाई (2011-12) मूल्यों (प्रतिशत में) पर अर्थव्यवस्था तथा कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में जीवीए का विकास

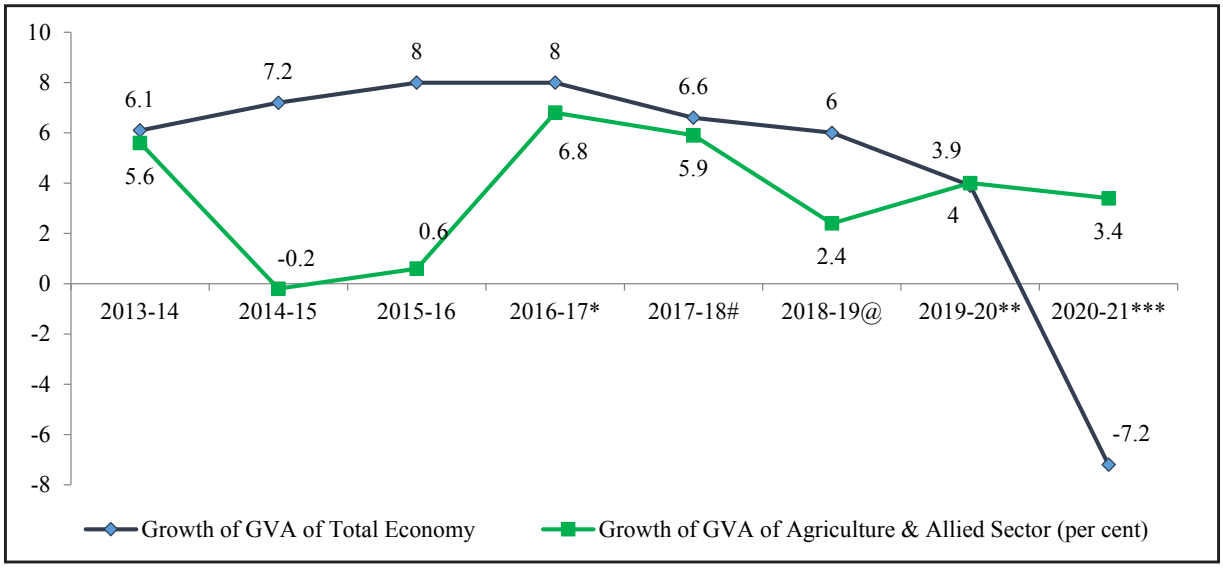

स्रोत: डीएसी और एफडब्ल्यू से प्राप्त आकड़ों के आधार पर।

नोट: **दिनांक 29 मई 2020 को सीएसओ द्वारा वार्षिक राष्ट्रीय आय 2019-20 के लिए जारी किए गए अस्थायी आकड़ों के अनुसार। @ 31 जनवरी 2020 को जारी किए गए वर्ष 2018-19 के लिए राष्ट्रीय आय, उपभोग व्यय, बचत और पूंजी निर्माण के पहले संशोधित अनुमानों के अनुसार। # दूसरा संशोधित अनुमान। * तीसरा संशोधित अनुमान।

*** राष्ट्रीय आय के लिए 7 जनवरी 2021 को जारी किए गए पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार।

सकल पूंजी निर्माण

7.5 इस सेक्टर में जीवीए के सापेक्ष कृषि तथा संबद्ध क्षेत्रों में सकल पूंजी निर्माण (जीसीएफ) उतार-चढ़ाव प्रदर्शित करता रहा है, जो वर्ष 2013-14 में 17.7 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2015-16 में 16.4 प्रतिशत और वर्ष 2015-16 में और घटकर 14.7 प्रतिशत रह गया। वर्ष 2013-14 से 2018-19 के दौरान कृषि और संबद्ध क्षेत्र के जीवीए के कृषि और संबद्ध क्षेत्र के जीसीएफ का वर्ष 2011-12 की आधार कीमतों में हिस्सेदारी को चित्र 3 में दिखाया गया है।

चित्र 3: कृषि और संबद्ध क्षेत्र के जीवीए के प्रतिशत के रूप में कृषि और संबद्ध क्षेत्र का जीसीएफ (वर्ष 2011-12 के आधारभूत कीमतों पर)

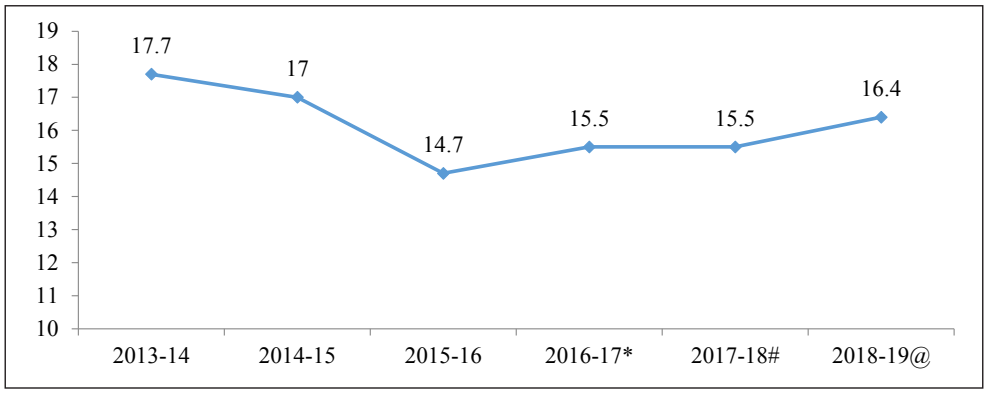

स्रोत: डीएसी और एफडब्ल्यू से प्राप्त आकड़ों के आधार पर।
@31 जनवरी 2020 को जारी किए गए वर्ष 2018-19 के लिए राष्ट्रीय आय, उपभोग व्यय, बचत और पूंजी निर्माण के पहले संशोधित अनुमानों के अनुसार। # दूसरा संशोधित अनुमान। * तीसरा संशोधित अनुमान।

फसलों का उत्पादन

7.6 वर्ष 2019-20 में (चौथे अग्रिम अनुमान के मुताबिक), देश में कुल खाद्यान्न का उत्पादन 296.65 मिलियन टन रहा जो वर्ष 2018-19 के 285.21 मिलियन टन खाद्यान्न उत्पादन से 11.44 मिलियन टन अधिक था। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2019-20 के दौरान उत्पादन विगत पांच वर्षों (2014-15 से 2018-19) के दौरान हुए 269.78 मिलियन टन औसत उत्पादन से 26.87 मिलियन टन अधिक था। विगत पांच वर्षों के दौरान प्रमुख फसलों के उत्पादन में एक आरेखीय प्रवृत्ति चित्र 4 और चित्र 5 में दिखाई गई है।

चित्र 4: चावल और गेंहू फसलों के उत्पादन की प्रवृति (मात्रा मिलियन टन में)

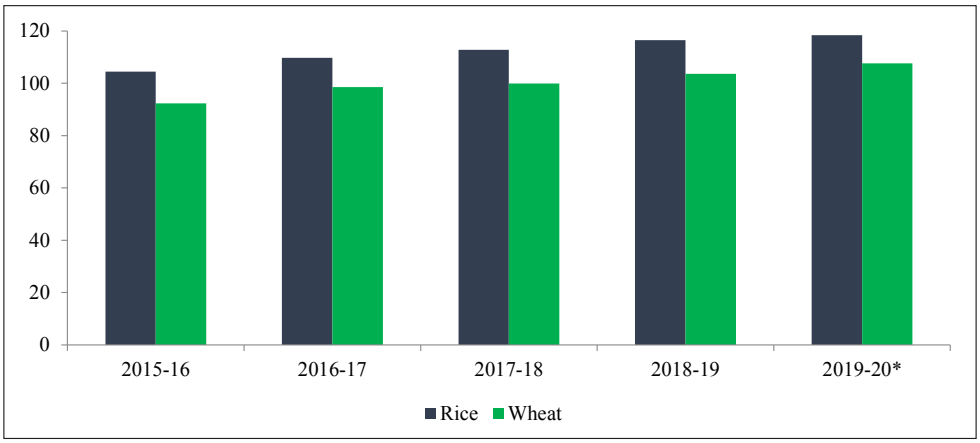

स्रोत: दिनांक 22.09.2020 को जारी किए गए पहला अग्रिम अनुमानों के आकड़ों से निर्मित
* चौथा अग्रिम अनुमान।

चित्र 5: अन्य मुख्य फसलों के उत्पादन की प्रवृति (मिलियन टन में मात्रा)

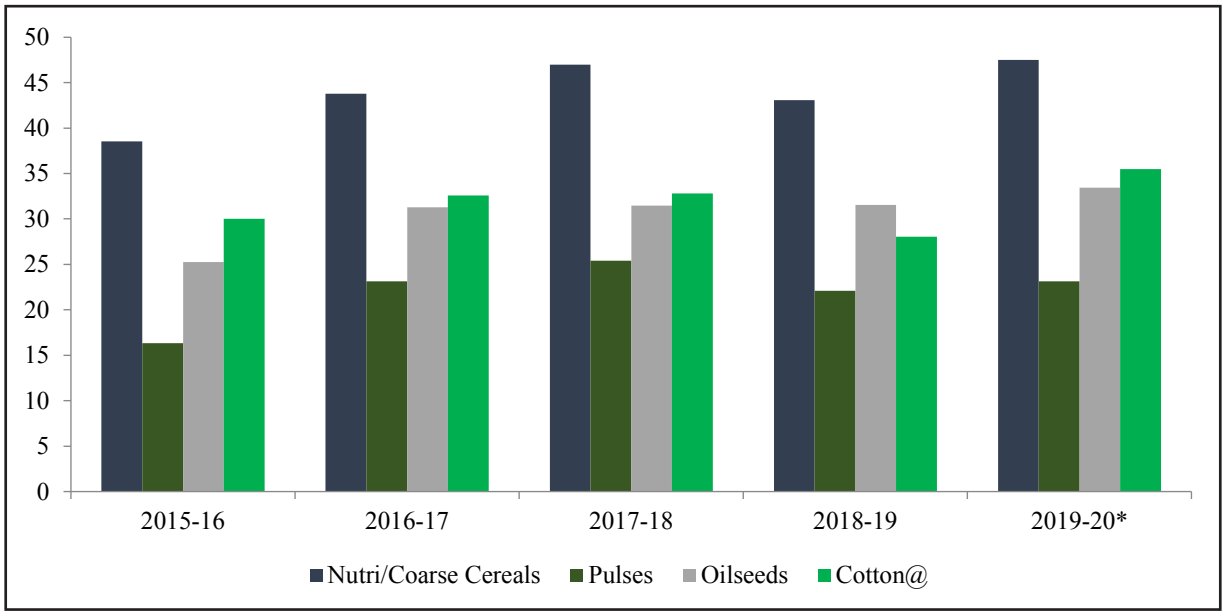

स्रोत: दिनांक 22.09.2020 को जारी किए गए पहले अग्रिम अनुमानों के आकड़ों से निर्मित

* चौथा अग्रिम अनुमान। @ @ कपास का उत्पादन मिलियन गांठों में है।

कृषि साख

7.7 भारत में बड़ी संख्या में छोटे सीमांत किसानों को संसाधनों की कमी से जूझते हुए देखने से यह स्पष्ट हो जाता है कि खेती-बाड़ी की सफलता के लिए समय पर पर्याप्त साख की उपलब्धता बहुत आवश्यक है। वर्ष 2019-20 के लिए कृषि क्षेत्र के लिए साख प्रवाह का लक्ष्य ₹ 13,50,000 करोड़ निर्धारित किया गया था और इस लक्ष्य के विरूद्ध ₹ 13,92,469.81 करोड़ का लक्ष्य प्राप्त किया गया। वही वर्ष 2020-21 के लिए कृषि क्षेत्र के लिए साख प्रवाह के लिए ₹ 15,00,000 करोड़ का लक्ष्य निर्धारित किया गया था और 30 नवम्बर 2020 तक 9,73,517.80 करोड़ रूपये वितरित किया गया था। आत्म-निर्भर भारत अभियान के हिस्से के रूप में घोषित किए गए एग्रीकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड कृषि क्षेत्र के लिए और अधिक साख अर्तवाह बढ़ाने में मददगार सिद्ध होगी (बॉक्स 2)। हालाँकि, एग्रीकल्चर साख का क्षेत्रीय वितरण दक्षिणी क्षेत्र के पक्ष में अधिक झुका रहा है। उत्तरी-पूर्वी राज्यों का हिस्सा बहुत कम रहा है (चित्र 1)।

7.8 वर्ष 2020-21 के दौरान, 30 नवम्बर 2020 तक एग्रीकल्चर क्रेडिट का कुल वितरण में, एग्रीकल्चर साख में दक्षिणी क्षेत्रकी हिस्सेदारी 40 प्रतिशत से अधिक थी जबकि उत्तरी-पूर्वी क्षेत्र (एनईआर) के लिए यह 2 प्रतिशत से भी कम था। एनईआर में कृषि ऋण का इतनी कम हिस्सेदारी होने की वजह देश के कुल जीसीए में उत्तर पूर्वी राज्यों के कुल कृषि योग्य क्षेत्र का देश के कुल जीसीए में लगभग 2.74 प्रतिशत योगदान है। इसके अतिरिक्त, अधिकांश उत्तरी-पूर्वी राज्यों में भूमि का सामुदायिक मालिकाना हद मौजूद है। ये दो कारक हैं, जो एनईआर में किसान साख कार्ड (केसीसी) ऋणों के संवितरण को प्रभावित करते हैं, क्योंकि ये ऋण खेत के दस्तावेजों को बंधक रखकर दिए जाते हैं। कृषि क्षेत्र में ऋण संवितरण वास्तव में सकल फसली क्षेत्र से संबंधित है, जैसा कि चित्र 6 में दिखाया गया है।

मानचित्र 1: भारत में एग्रीकल्चर क्रेडिट का क्षेत्रीय वितरण

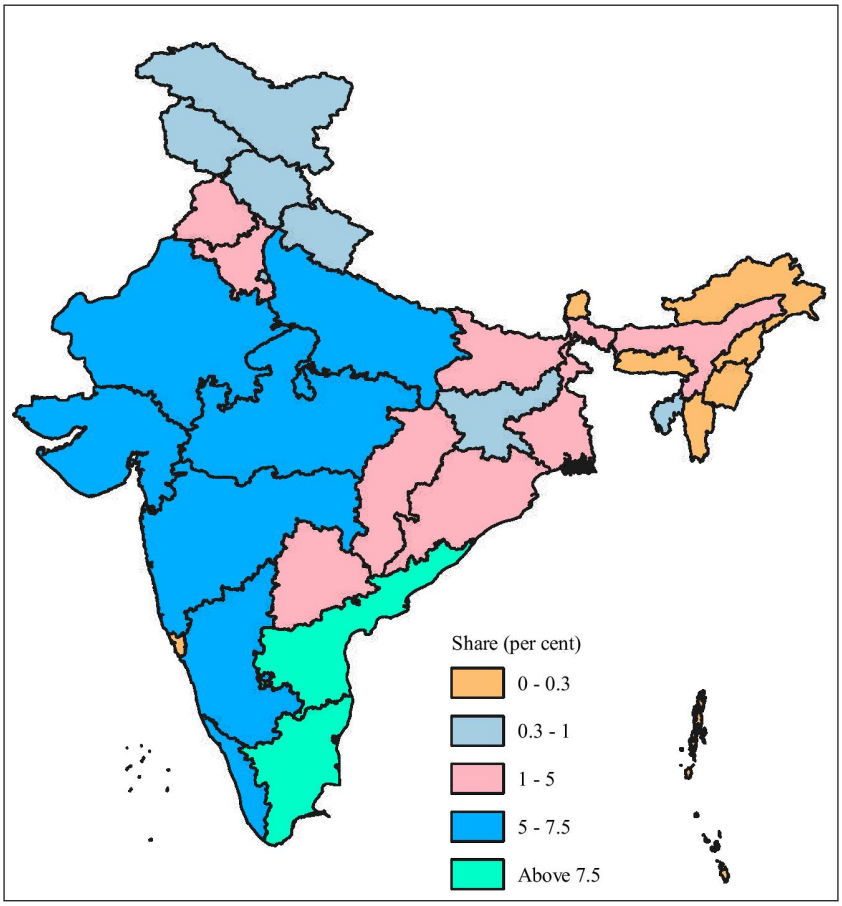

स्रोत: डीएसी-एफडब्ल्यू से प्राप्त आकड़ों के आधार पर

चित्र 6: ऋण का संवितरण और सकल फसली क्षेत्र धनात्मक रूप से एक-दूसरे से संबंधित हैं

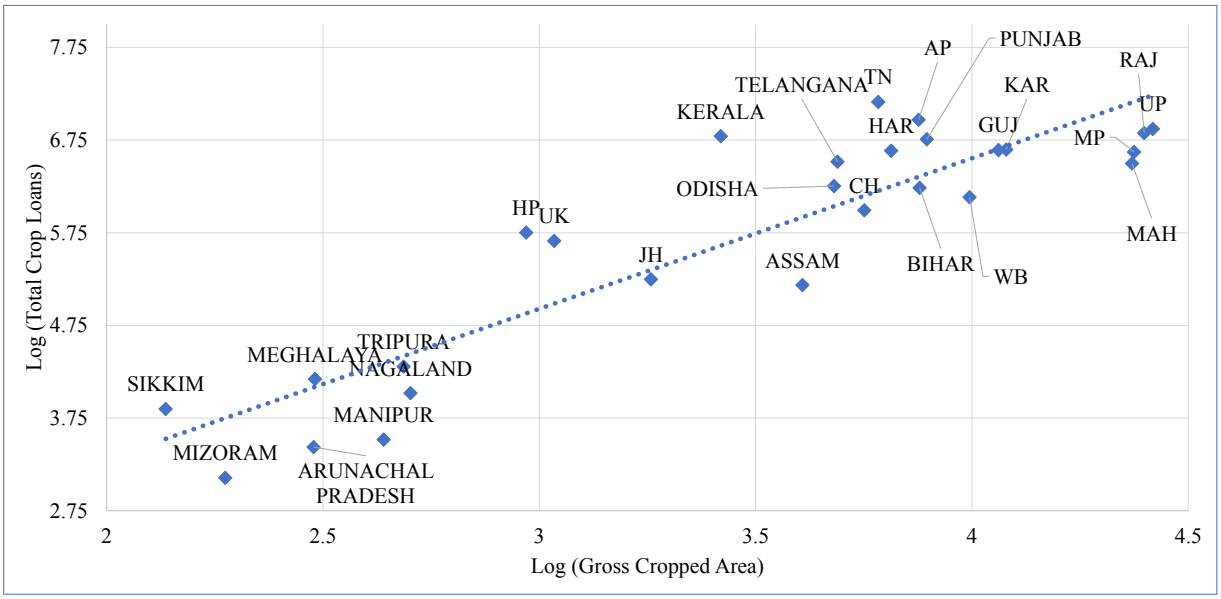

स्रोत: डीएसी एंड एफडब्ल्यू से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर

बॉक्स 2: एग्रीकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड

कृषकों के लिए फार्म-गेट अवसंरचना के निर्माण के लिए, माननीय वित्त मंत्री ने दिनांक 15.05.2020 को ₹ 1 लाख करोड़ के कृषि अवसरंचना निधि की घोषणा की। तदनुसार, कृषि अवसरंचना निधि के अधीन वित्त पोषण सुविधा की केंद्रीय क्षेत्र योजना औपचारिक रूप से भारत के माननीय प्रधान मंत्री द्वारा दिनांक 09.08.2020 को शुरू की गई।

यह योजना वर्ष 2020-21 से लेकर वर्ष 2029-30 तक जारी रहेगी। यह योजना ब्याज अनुदान और वित्तीय सहायता के माध्यम से फसल कटाई के बाद के बुनियादी ढांचे और सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों के व्यवहार्य परियोजनाओं में निवेश के लिए मध्यम से दीर्घकालिक ऋण संबंधी वित्तपोषण की सुविधा उपलब्ध कराता है। इस योजना के अंतर्गत, प्राथमिक कृषि साव समितियों (पीएसीएस), विपणन सहकारी समितियों, किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ), स्वयं सहायता समूह (एसएचजी), कृषकों, संयुक्त देयता समूहों (जेएलजी), बहुउद्देशीय सहकारी समितियों, कृषि-उद्यमियों, स्टार्टअप और केंद्रीय/राज्य एजेंसी या स्थानीय निकाय द्वारा प्रायोजित सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजना, आदि को बैंक तथा वित्तीय संस्थाओं द्वारा ऋण के रूप में ₹ 1 लाख करोड़ का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा।

इस वित्तपोषण योजना के अंतर्गत सभी ऋणों पर 3 प्रतिशत प्रति वर्ष ब्याज में अनुदान दी जाएगी, हालाँकि, इस ऋण की अधिकतम सीमा ₹ 2 करोड़ रूपये तक है। यह अनुदान अधिकतम 7 वर्षों के लिए देय होगी। साख गारंटी निधि के अधीन सूक्ष्म तथा लघु उद्योग (सीजीटीएमएसई) योजना साख गारंटी निधि के लिए ₹ 2 करोड़ तक ऋण के लिए इस वित्तपोषण सुविधा से योग्य उधारकर्ताओं के लिए क्रेडिट गारंटी कवरेज उपलब्ध होगा।

सभी 12 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और 11 निजी क्षेत्र के बैंकों के साथ डीएसी एंड एफडब्ल्यू ने समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। योजना के लिए एक वेबसाइट का निर्माण किया गया है। आकड़ों के अनुसार, 15.1.2021 तक, योजना के अंतर्गत 3055 पैक्स को नाबार्ड द्वारा सैद्धान्तिक रूप से 2991 करोड़ रूपये की स्वीकृति दी गई है। लगभग 2741 करोड़ रूपये के ऋण राशि के लिए पैक्स ने 3774 अधिक आवेदन जमा किए हैं। पैक्स को छोड़कर अन्य संस्थाओं द्वारा पोर्टल के माध्यम से 1695 आवेदन प्राप्त किए गए हैं, जिनमें से ₹ 934 करोड़ के ऋण की मांग करते हुए 964 आवेदन प्रथम दृष्टया योग्य पाए गए और उन्हें संबंधित बैंकों को भेज दिया गया है। बैंकों ने 964 आवेदनों में से 230 आवेदन को ₹ 235 करोड़ की ऋण राशि के लिए स्वीकृति दी है।

कृषि वस्तुओं का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार

7.9 वर्ष 2019-20 के दौरान, भारत ने लगभग ₹ 252 हजार करोड़ के कृषि और संबद्ध उत्पादों का निर्यात किया। भारत ने जिन देशों को मुख्य रूप से निर्यात किया, उनमें यूएसए, सऊदी अरब, ईरान, नेपाल तथा बांग्लादेश शामिल हैं। भारत से मुख्य रूप से निर्यात किए गए कृषि तथा संबंधित उत्पादों में समुद्री उत्पाद, बासमती चावल, भैंस का मांस, मसालें, गैर-बासमती चावल, कच्चा कपास, खली, चीनी, अरंडी का तेल और चाय शामिल हैं। यद्यपि भारत उपरोक्त वर्णित कृषि-उत्पादों के व्यापार में प्रमुव स्थान रखता है तथापि वैश्विक कृषि व्यापार में इसके कृषि उत्पादों का हिस्सा 2.5 प्रतिशत से थोड़ा अधिक है।

7.10 भारत में वर्ष 1991 के आर्थिक सुधारों के सूत्रपात के बाद से, भारत कृषि उत्पादों का शुद्ध निर्यातक रहा है। वित्त वर्ष 2019-20 में भारत ने 2.52 लाख करोड़ रूपये के कृषि उत्पादों का निर्यात किया जबकि 1.47 लाख करोड़ रूपये के कृषि उत्पादों का आयात किया। कृषि निर्यात के कुल मूल्य में प्रमुख दस कृषि वस्तुओं की हिस्सेदारी के पिछले छह वर्षों के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि कृषि-निर्यात की संरचना में महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं (चित्र 7)। कृषि उत्पादों के कुल निर्यात मूल्य में समुद्री उत्पादों की हिस्सेदारी इस अवधि के दौरान सबसे अधिक रही है। कृषि उत्पादों के कुल निर्यात मूल्य में इसकी हिस्सेदारी वर्ष 2015-16 के 14.5

प्रतिशत से बढ़कर 2019-20 में लगभग 19 प्रतिशत तक पहुँच गई। कुल कृषि निर्यात मूल्य में बासमती चावल की हिस्सेदारी भी इस अवधि के दौरान बढ़ती रही है। इस अवधि में अन्य जिन वस्तुओं की हिस्सेदारी में वृद्धि हुई है, उनमें गैर-बासमती चावल, मसालें तथा चीनी शामिल हैं। यद्यपि, इस अवधि के दौरान कुल कृषि निर्यात मूल्य में भैंस के मांस और कच्चे कपास जैसी वस्तुओं के हिस्सेदारी में कमी आई है। इस अवधि में अरंडी के तेल और चाय जैसे वस्तुओं की हिस्सेदारी कमोबेश स्थिर रही हैं।

चित्र 7: कृषि-निर्यात के कुल मूल्य में कृषि उत्पादों की हिस्सेदारी की प्रवृति (प्रतिशत)

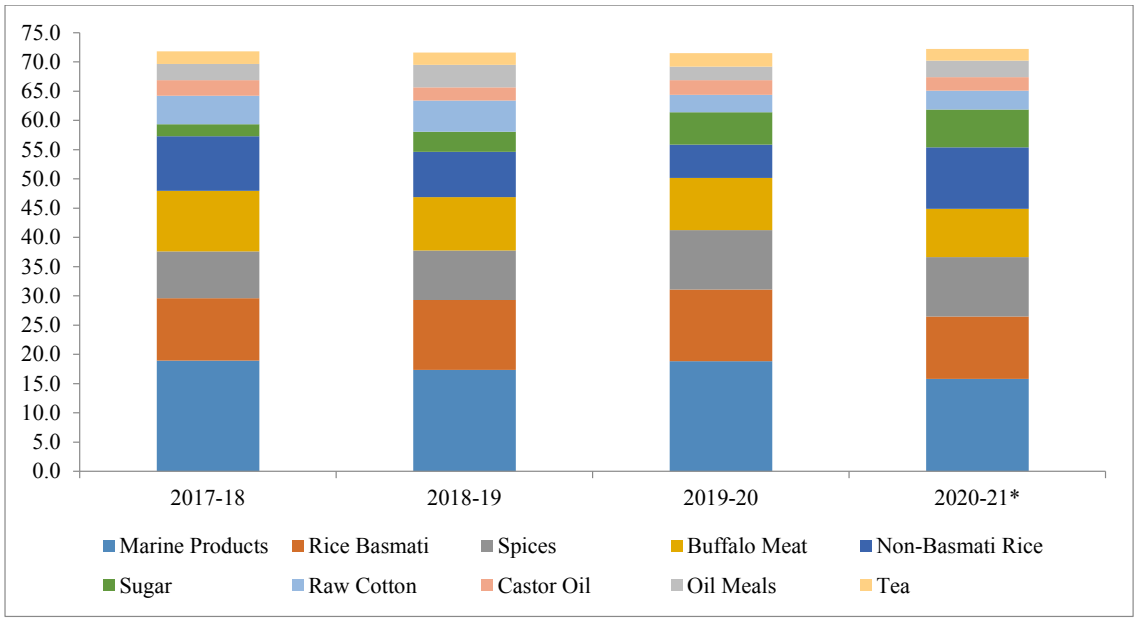

स्रोत: डीएसी एंड एफडब्ल्यू से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर।

* नवंबर 2020 तक।

न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी)

7.11 सरकार ने 2018-19 के केंद्रीय बजट में घोषणा की थी कि एमएसपी को उत्पादन की लागत के 1.5 गुना के स्तर पर रखा जाएगा। उपरोक्त उल्लिखित सिद्धांत के आधार पर, सरकार ने हाल ही में 2020-21 सत्र के लिए सभी अनिवार्य खरीफ तथा रबी फसलों के लिए एमएसपी में बढ़ोतरी की है।

खरीफ फसल की एमएसपी

7.12 विपणन सत्र 2020-21 के लिए, सरकार ने 1 जून 2020 को खरीफ फसलों के एमएसपी में वृद्धि की घोषणा की। एमएसपी में सबसे अधिक बढ़ोतरी नाइजर सीड (₹ 755 प्रति क्विंटल) में की गई, उसके बाद तिल (₹ 370 प्रति क्विंटल), फिर उड़द (₹ 300 प्रति क्विंटल) और कपास (लंबा अनाज) (₹ 275 प्रति क्विंटल) में की गई। किसानों के लिए उत्पादन की लागत पर सबसे अधिक लाभ प्राप्त होने का अनुमान बाजरे (83 प्रतिशत) पर लगाया गया और उसके बाद क्रमशः उड़द (64 प्रतिशत), तुर (58 प्रतिशत) और मक्के (53 प्रतिशत) पर लाभ प्राप्त होने का अनुमान व्यक्त किया गया। शेष फसलों के लिए, किसानों के लिए उत्पादन की लागत पर लाभ के लगभग कम से कम 50 प्रतिशत तक रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है (चित्र 8)।

चित्र 8: 2020-21 वर्ष के खरीफ फसल की लागत, एमएसपी और प्रतिलाभ

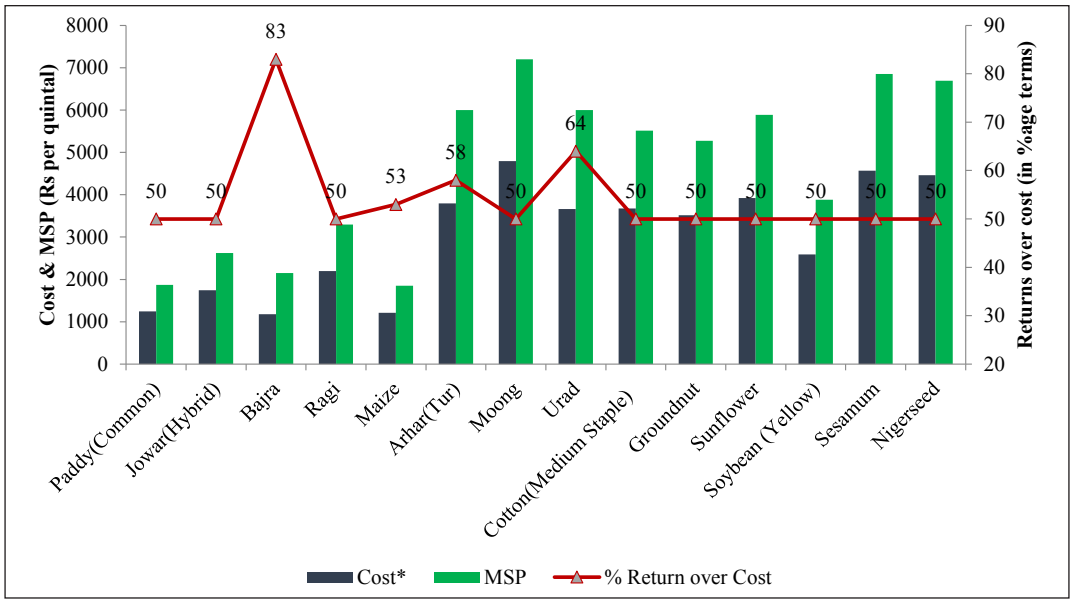

स्रोत: डीएसी एंड एफडब्ल्यू

* इसमें सभी भुगतान किया गया लागत जैसे मजूदरों की भर्ती का खर्च, बैल चलने वाले मजदूर/मशीन पर काम करने वाले मजदूर, पट्टे पर लिए गए खेत के किराए का भुगतान, आदानों जैसे बीज, उर्वरक, खाद, सिंचाई व्यय, औजार और कृषि भवनों का मूल्यह्रास, कार्यशील पूंजी पर ब्याज, पंप सेटों आदि के परिचालन के लिए डीजल/बिजली व्यय, विविध वर्च और पारिवारिक श्रम का मूल्य शामिल है।

रबी फसल का एमएसपी

7.13 विपणन सत्र 2020-21 के लिए, सरकार ने 1 सितंबर 2020 को सभी अनुशंसित रबी फसलों के एमएसपी में वृद्धि की घोषणा की। एमएसपी में सबसे अधिक बढ़ोतरी मसूर की दाल (₹ 300 प्रति क्विंटल) के लिए की गई, उसके बाद चना, सफेद सरसों और पीली सरसों (₹ 255 प्रति क्विंटल), फिर कुसुम (₹

चित्र 9: 2020-21वर्ष के रबी फसल की लागत, एमएसपी और प्रतिलाभ

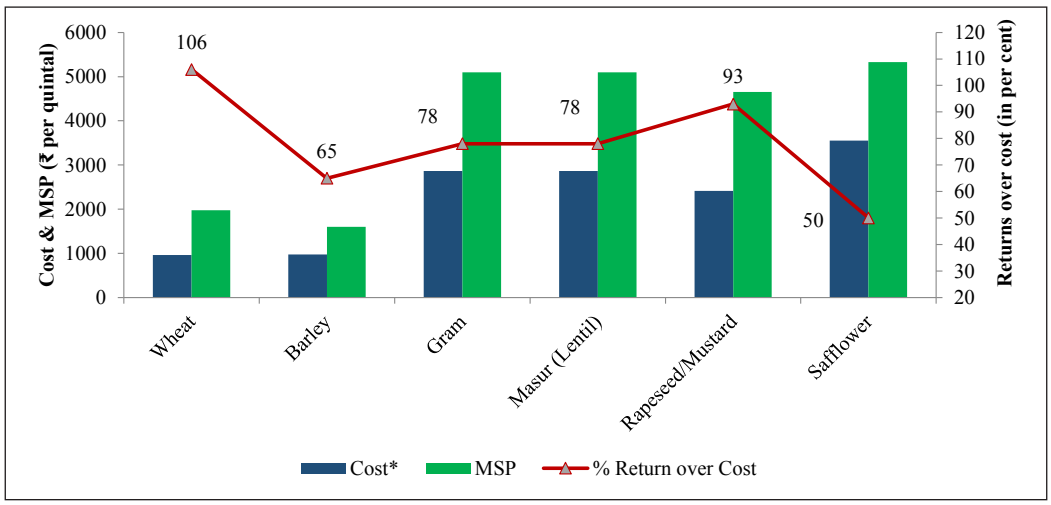

स्रोत: डीएसी एंड एफडब्ल्यू

* इसमें सभी भुगतान किए गए लागत जैसे मजूदरों की भर्ती का खर्च, बैल चलने वाले मजदूर/मशीन पर काम करने वाले मजदूर, पट्टे पर लिए गए खेत के किराए का भुगतान, आदानों जैसे बीज, उर्वरक, खाद, सिंचाई व्यय, औजार और कृषि भवनों का मूल्यह्रास, कार्यशील पूंजी पर ब्याज, पंप सेटों आदि के परिचालन के लिए डीजल/बिजली व्यय, विविध वर्च और पारिवारिक श्रम का मूल्य शामिल है।

112 प्रति क्विंटल) का स्थान रहा। बाजरे और गेहूं के लिए, क्रमशः 75 रूपये प्रति क्विंटल तथा 50 रूपये प्रति क्विंटल की घोषणा की गई। किसानों के लिए उत्पादन की लागत पर सबसे अधिक लाभ प्राप्त होने का अनुमान गेहूं (106 प्रतिशत) पर लगाया गया और उसके बाद क्रमशः सफेद सरसों तथा पीली सरसों (93 प्रतिशत), चना और मसूर की दाल (78 प्रतिशत) पर लाभ प्राप्त होने का अनुमान व्यक्त किया गया। बाजरे के संबंध में, किसानों के लिए उत्पादन की लागत पर 65 प्रतिशत लाभ, कुसुम के लिए 50 प्रतिशत लाभ होने का अनुमान व्यक्त किया गया है (चित्र 9)। अलग-अलग पारिश्रमिक का उद्देश्य फसल विविधीकरण को प्रोत्साहित करना है।

फसल बीमा

7.14 प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) एक दूरदर्शी अभियान है और इसका लक्ष्य संपूर्ण देश में किसानों को न्यूनतम समान प्रीमियम पर समग्र जोखिम समाधान उपलब्ध कराना है। किसानों के लिए जोखिम के समग्र समाधान की प्रक्रिया के रूप में, यह योजना बुआई से पहले, कटाई के बाद-बुआई रूकने से होने वाली हानि और बीच मौसम के प्रतिकूलताओं सहित-संपूर्ण फसल चक्र के दौरान कवरेज उपलब्ध कराती है। जोखिमों जैसे जल-प्लावन, बादल के फटने और प्राकृतिक आग लगने जैसे स्थानीय आपदाओं की वजह से व्यक्तिगत खेत के स्तर पर हानियों तथा कटाई के बाद हानियों को भी कवर किया जाता है। पूर्व-पीएमएफबीवाई के दौरान बीमा कवरेज 15100 रूपए प्रति हेक्टेयर से बढ़कर पीएमएफबीवाई में 40700 रूपए प्रति हेक्टेयर हो गई है। दिनांक 13 जनवरी 2021 को इस योजना ने सफल निष्पादन के पांच वर्ष पूरे किएँ।

7.15 निरंतर उन्नत बनाने के लिए, फरवरी में इसके जीर्णोद्धार के बाद सभी किसानों के लिए योजना को स्वैच्छिक बनाया गया। इसके साथ ही, राज्य भी बीमित राशि को न्यायपूर्ण बनाने के लिए लचीलता प्रदान कर रहे है ताकि किसानों द्वारा पर्याप्त लाभ प्राप्त किया जा सकें। प्रति वर्ष इस योजना के अंतर्गत 5.5 करोड़ किसानों को लाभ प्रदान किया जाता है। 12 जनवरी 2021 तक, 900000 करोड़ का भुगतान दावे के रूप में पहले ही किया जा चुका है। आधार को जोड़ने से दावे के निपटान में तेजी आई है और दावे का भुगतान सीधे किसानों के खाते में किया जा रहा है। यहाँ तक कि कोविड-19 महामारी के दौरान लगभग 70 लाख किसान लाभान्वित हुए और दावा लगभग 8741.30 का भुगतान लाभार्थियों को किया गया।

पीएम-किसान

7.16 प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना वर्ष 2019 में की गई और इसका लक्ष्य कृषि योग्य भूमि रखने वाले देश भर के सभी भूमिधारक किसान परिवारों के आय में सहयोग करना था, हालाँकि इसके अधीन कुछ अपवर्जन भी शामिल था। इस योजना के अंतर्गत, 6000 रूपए का भुगतान प्रति वर्ष 2000 रूपए के तीन किस्तों में सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में किया जाता था। जब से यह योजना 25 दिसम्बर 2020 से शुरू हुई है, किसानों के खातों में 1.10 लाख करोड़ रुपये जा चुके हैं। इस योजना के अन्तर्गत वित्तीय लाभों की 7वीं किस्त दिसम्बर 2020 में देश के 9 करोड़ किसान परिवारों के बैंक खातों में 18,000 करोड़ रुपये की राशि जमा की जा चुकी है।

संबद्ध क्षेत्रः पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन

7.17 पशुपालन भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का एक महत्वपूर्ण उपक्षेत्र है। वर्ष 2014-15 से 2018-19 के दौरान, इस सेक्टर ने 8.24 प्रतिशत की सीएजीआर दर से विकास किया। कृषि और संबद्ध क्षेत्र के क्षेत्रवार सकल मूल्य संवर्धन के लिए राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी (एनएएस) 2020 के अनुमानों के अनुसार, कुल कृषि और संबद्ध क्षेत्र में पशुपालन का योगदान जीवीए में (निरंतर कीमत पर) 24.32 प्रतिशत (2014-15) से बढ़कर 28.63 प्रतिशत (2018-19) हो गया है। पशुपालन उद्योग ने वर्ष 2018-19 में कुल जीवीए में 4.2 प्रतिशत का योगदान दिया।

दूध

7.18 दूध उत्पादन के मामले में भारत संपूर्ण विश्व में पहले स्थान पर है। पशुओं की उत्पादकता बढ़ाने के लिए सरकार ने अनेक उपाए किए हैं, जिसके परिणामस्वरूप दूध उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। देश में दूध का उत्पादन वर्ष 2014-15 के 146.3 मिलियन टन से बढ़कर वर्ष 2019-20 में 198.4 मिलियन टन हो गया* (चित्र 10)। वर्ष 2014-15 के दौरान दूध उत्पादन का वार्षिक विकास दर 6.27 प्रतिशत था, उसके बाद इसमें स्थिर वृद्धि होना जारी रहा। गत वर्ष की तुलना में वर्ष 2019-20* के दौरान दूध उत्पादन में 5.68 प्रतिशत की वृद्धि हुई। वर्ष 2019-20* में प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता 407 ग्राम प्रतिदिन थी। वर्ष 2019-20 के दौरान दूध उत्पादन और दूध की प्रति व्यक्ति उपलब्धता में अंतर-राज्यी अंतर को चित्र 10 और 11 में दिखाया गया है।

चित्र 10: भारत में दूध उत्पादन का रूझान (मिलियन टन)

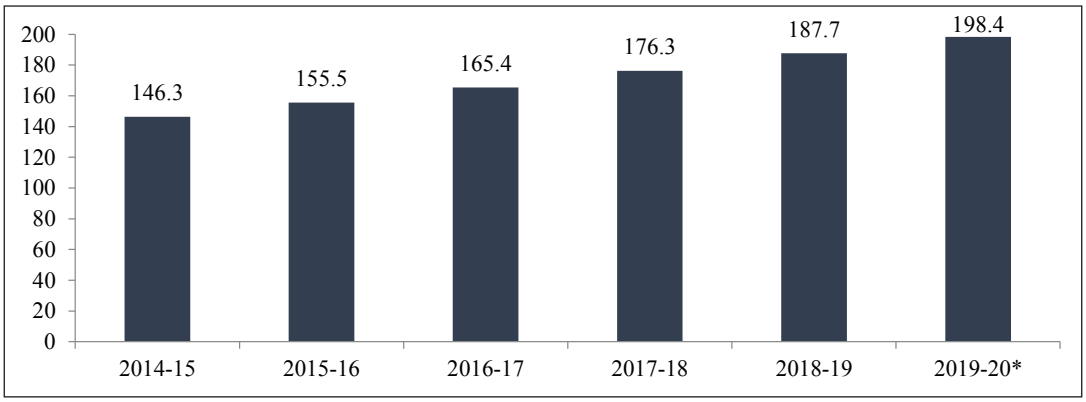

स्रोत: राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड और डीएएचडी से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर।

* आकड़ें अस्थायी हैं।

चित्र 11: वर्ष (2019-20*) के दौरान दूध के उत्पादन में अंतर-राज्यी भिन्नता और दूध की प्रति व्यक्ति उपलब्धता।

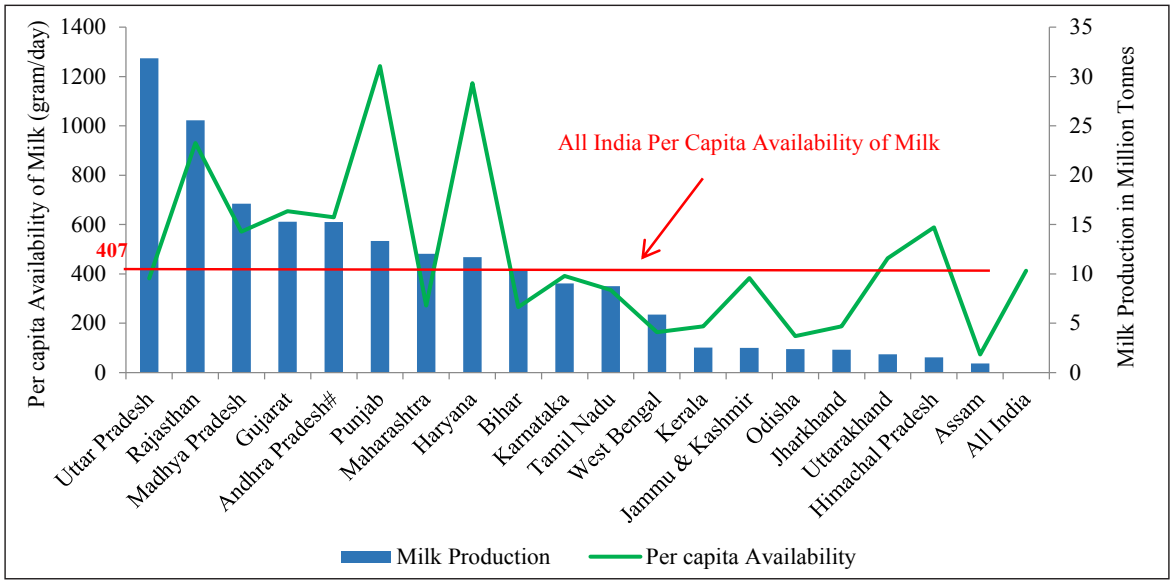

स्रोत: डीएएचडी और एनडीडीबी वेबसाइट से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर।

#इसमें तेलंगाना में प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता का चित्र भी शामिल है।

7.19 दूध की मांग के बारे में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार, वर्ष 2030 तक अखिल भारतीय स्तर पर दूध तथा दूध उत्पादों के मांग का 266.5 मिलियन टन रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है। इस उपभोग में ग्रामीण क्षेत्र का हिस्सा 57 प्रतिशत रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है। यहाँ तक कि वर्ष 2030 के अनुमानों के अनुसार, दूध की प्रति व्यक्ति खपत ग्रामीण क्षेत्र (404 मिलीमीटर) की तुलना में शहरी (592 मिलीमीटर) क्षेत्र में निरंतर अधिक होने का अनुमान व्यक्त किया गया है।

पशुओं की आबादी तथा उत्पादन

7.20 एफएओएसटीएटी के उत्पादन आकड़ों (2018) के अनुसार, संपूर्ण विश्व में अण्डों के उत्पादन में भारत का 3रा स्थान है। देश में अण्डों का उत्पादन 78.48 बिलियन (2014-15) से बढ़कर 114.38 बिलियन (2019-20*) हो गया। वर्ष 2014-15 के दौरान, अण्डों के उत्पादन का विकास दर 4.99 प्रतिशत था, और उसके बाद उत्पादन में बहुत सुधार हुआ और वर्ष 2019-20* के दौरान इसने 10.19 प्रतिशत का विकास दर्ज किया। वर्ष 2019-20* के दौरान, प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष अण्डों की उपलब्धता 86 रही। विगत चार दशकों में पोल्टरी उद्योग ने अभूतपूर्व प्रगति की है। गैर-वैज्ञानिक तरीके से उत्पादन की विधि का परित्याग कर, वर्तमान में पोल्टरी उद्योग ने अत्याधुनिक तकनीक से वाणिज्यिक उत्पादन की विधि को अपना लिया है। चित्र 12 में प्रति व्यक्ति दूध तथा अण्डों की उपलब्धता को प्रदर्शित किया गया है।

चित्र 12: दूध तथा अण्डों की प्रति व्यक्ति उपलब्धता

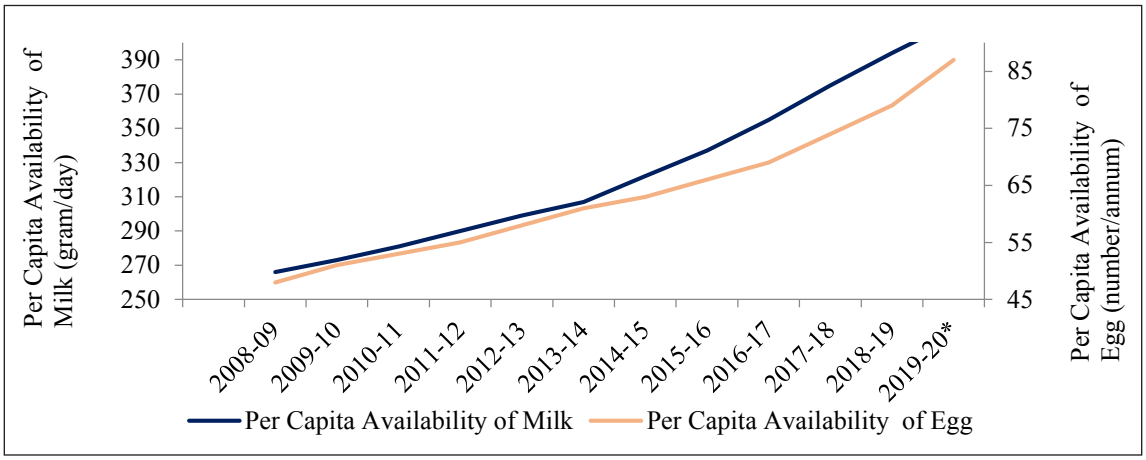

स्रोत: डीएएचडी के आकड़ों के आधार पर

* आकड़े अस्थायी है

7.21 एफएओएसटीएटी उत्पादन आकड़ों (2019) के अनुसार, संपूर्ण विश्व में मांस के उत्पादन में भारत का 5वां स्थान है। देश में मांस का उत्पादन 6.7 मिलियन टन (2014-15) से बढ़कर 8.6 मिलियन टन (2019-20*) हो गया। वर्ष 2019-20* में, मांस के उत्पादन की वार्षिक वृद्धि दर 5.98 प्रतिशत थी।

पशुपालन क्षेत्र में हालिया पहलें:

7.22 कोविड-19 की वजह से पशुपालन से संबंधित उत्पादों को बेचने वाले दुकानों के बंद रहने से, ऐसे उत्पादों के मांग में बहुत कमी आई। मिठाई के दुकानों तथा चाय के दुकानों के बंद रहने के कारण, अनेक निजी डेयरी प्रभावित हुए और उन्होंने किसानों से दूध खरीदना बंद कर दिया। इसके परिणामस्वरूप किसान अपना दूध सहकारी संगठनों को बेचने लगें। इसके परिणामस्वरूप, सहकारी संगठनों में दूध की खरीद बढ़ गई

क्योंकि वे अपने वादे के अनुसार दूध की खरीद से इंकार नहीं कर सकते हैं। अधिक मात्रा में दूध खरीदने तथा उसे अधिक से अधिक मात्रा में मिल्क पाउडर तथा व्हाईट बटर में परिवर्तित करने से सहकारी संगठनों को नकदी यानि पैसे की कमी से जूझना पड़ा।

7.23 दूध की स्थिति की गहन निगरानी के लिए आवश्यक उपाय किए गए तथा लॉकडाउन के दौरान दूध और दूध उत्पादों की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए फॉरवर्ड तथा बैकवार्ड लिंकेज से जुड़ी समस्याओं का समाधान किया गया। एक बार की सहायता के रूप में, जारी योजना राज्य डेयरी सहकारी और किसान उत्पादक संगठन (एसडीसीएफपीओ) के अधीन वित्त वर्ष 2020-21 के लिए कार्यशील पूंजी पर ब्याज में छूट देने के लिए एक उप-योजना लागू की गई, जिसका उद्देश्य प्रति वर्ष ब्याज में 2 प्रतिशत की छूट देना था और इसके अंतर्गत वित्तीय रूप से कठिनाई झेल रहे दूध संघों के लिए शीघ्र और समय पर पुनर्भुगतान करने पर उन्हें ब्याज पर 2 प्रतिशत अतिरिक्त छूट का लाभ दिया गया। फरवरी 2020 के बजट में किसान क्रेडिट कार्ड में पशुपालन क्षेत्र को शामिल करने की घोषणा के बाद, मिल्क कोआपरेटिव और मिल्क उत्पादक कंपनियों के लगभग 1.5 करोड़ किसानों को प्रधानमंत्री आत्म-निर्भर भारत पैकेज के अधीन किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) का लाभ दिया गया।

पशुपालन अवसंरचना विकास निधि (एएचआईडीएफ)

7.24 आत्म-निर्भर भारत अभियान प्रोत्साहन पैकेज के हिस्से के रूप में, सरकार ने ₹ 15000 करोड़ रूपये का एक पशुपालन अवसंरचना विकास निधि (एएचआईडीएफ) गठित किया है। एएचआईडीएफ (i) डेयरी प्रसंस्करण और वैल्यू एडिशन इन्फ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करने, (ii) मांस के प्रसंस्करण और वैल्यू एडिशन इन्फ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करने, (iii) पशुओं के लिए चारा उत्पादन संयंत्र स्थापित करने के लिए निवेश करने वाले निजी उद्यमियों, निजी कंपनियों, एमएसएमई, किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) सहित एमएसएमई को प्रोत्साहित करेगी।

7.25 योग्य लाभार्थियों को भारत सरकार ब्याज में 3 प्रतिशत की छूट देगी। ऋण के मूलधन पर 2 वर्ष के लिए अधिस्थगन और उसके बाद 6 वर्ष की अदायगी अवधि दी जाएगी। किए गए दावों के आधार, सरकार प्रति वर्ष बैंकों को ब्याज में छूट देगी। भारत सरकार ₹ 750 करोड़ की क्रेडिट गारंटी फंड भी स्थापित करेगी, जिसका प्रबंधन नाबार्ड द्वारा किया जाएगा। क्रेडिट की गारंटी उन स्वीकृत परियोजनाओं को प्रदान की जाएगी जो एमएसएमई की परिभाषा के दायरे में आते हैं। इस योजना के अंतर्गत, उधारकर्ता की क्रेडिट सुविधा के 25 प्रतिशत तक गारंटी कवरेज दी जाएगी। आवेदन की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए, एसआईडीबीआई द्वारा विकसित की गई एक ऑनलाइन पोर्टल 'ahidf-udyamimtra-in' उपलब्ध कराई गई है, जिसके माध्यम से इस योजना के अंतर्गत लोन पाने के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है।

*आकड़ें अस्थायी है।

राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम (एनएडीसीपी)

7.26 सरकार ने एक महत्वाकांक्षी योजना राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम (एनएडीसीपी)" को मंजूरी दी है। इस योजना का लक्ष्य सभी मवेशियों, भैंसों, भेड़ों, बकरियों और सूअरों को पैर और मुंह के रोग (एफएमडी) और ब्रुसेलोसिस से बचाव के लिए उन्हें एफएमडी का टीका देना शामिल है। इस योजना के अंतर्गत ब्रुसेलोसिस से बचाव के लिए 4-8 माह के सभी दुधारू पशुओं को एफएमडी का टीका दिया जाएगा। इस कार्यक्रम के सफल निष्पादन के लिए पांच वर्षों (2019-20 से 2023-24) के दौरान कुल ₹ 13,343 करोड़ खर्च किए जाएंगे।

मत्स्यपालन

7.27 मछली उत्पादन के मामले में विश्व में भारत का दूसरा स्थान है और वैश्विक उत्पादन में इसका योगदान 7.58 प्रतिशत है। वर्ष 2019-20 में भारत में अभी तक सबसे अधिक मछली उत्पादन 14.16 मिलियन टन दर्ज किया गया। साथ ही, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में मत्स्यपालन उद्योग कुल राष्ट्रीय जीवीए के 1.24 प्रतिशत तथा कृषि जीवीए के 7.28 के बराबर योगदान देती है। वर्ष 2019-20 के दौरान 12.9 लाख मीट्रिक टन समुद्री उत्पादों का निर्यात किया गया, जिनकी कीमत 46,662 करोड़ रूपये थी। इस क्षेत्र ने जीविकोपार्जन का बहुत अधिक अवसर उपलब्ध कराया है और इसकी वजह से भारत में 28 मिलियन से भी अधिक लोग, विशेष रूप से वंचित और कमजोर समुदाय के लोग, निरंतर आय प्राप्त करने में सक्षम हैं। इसके साथ ही, इस उद्योग ने सार्थक सामाजिक-आर्थिक विकास को प्रोत्साहित किया है।

7.28 भारत सरकार ने इस स्केटर के असीम संभावनाओं का दोहन करने के लिए अनेक योजनायें शुरू की हैं। केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजना - ब्लू रेवोलुशन अर्थात नीली क्रांति (सीएसएस-बीआर) वर्ष 2015-16 में 5 वर्षों की अवधि के लिए शुरू की गई थी। इस योजना के लिए केंद्र सरकार ने ₹ 3000 करोड़ का वित्तीय परिव्यय निर्धारित किया था ताकि मत्स्य पालन क्षेत्र का एकीकृत, जिम्मेदार और समग्र विकास और प्रबंधन" का सबसे अधिक लाभ उठाया जाए। यह योजना मार्च 2020 में समाप्त हुई। भारत सरकार ने अक्टूबर 2018 में ₹ 7522 करोड़ के एक समर्पित मत्स्य पालन और एक्वाकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड (एफआईडीएफ) के गठन की स्वीकृति प्रदान की। एफआईडीएफ के अंतर्गत, नवंबर 2020 के अंत तक, 13 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के लिए ₹ 3467 करोड़ से अधिक के कुल परिव्यय वाली परियोजना के प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई। मध्य जनवरी 2021 तक, मछुआरों और मत्स्यपालन करने वाले मछुआरों तथा कृषकों को कुल 44,673 किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) जारी किए गए हैं और मछुआरों और मत्स्यपालन करने वाले कृषकों के अतिरिक्त 4.04 लाख आवेदन बैंकों के पास कार्ड जारी करने के विभिन्न चरणों में लंबित हैं।

7.29 मत्स्यपालन उद्योग की असीम संभावनाओं, क्षमताओं तथा महत्त्व को समझते हुए, मई 2020 में एक नवीन महत्वकांक्षी परियोजना प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) शुरू की गई। यह योजना भारत सरकार के आत्म-निर्भर भारत अभियान के हिस्से के रूप में की गई है और सरकार ने इस योजना के अंतर्गत वित्त वर्ष 2020-21 से वित्त वर्ष 2024-25 की कुल पांच वर्षों की अवधि के लिए ₹ 20,050 करोड़ निवेश करने का लक्ष्य रखा है, जिसमें केंद्र सरकार ₹ 9407 करोड़ का योगदान देगी, राज्य सरकारों का योगदान 4880 करोड़ रूपये का होगा जबकि लाभार्थियों द्वारा 5763 करोड़ रूपये का योगदान दिया जाएगा। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) औसतन 9 प्रतिशत वार्षिक विकास दर को प्राप्त करते हुए वर्ष 2024-25 तक मत्स्य उत्पादन को 220 लाख मीट्रिक टन करना है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना के सफल निष्पादन के परिणामस्वरूप निर्यात आय दुगुनी अर्थात ₹ 1,00,000 करोड़ हो जाएगी और इससे मत्स्यपालन उद्योग में अगले पांच वर्षों में प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से 55 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। इसके अतिरिक्त, पीएमएमएसवाई ने जलीय कृषि उत्पादकता को 5 टन प्रति हेक्टेयर तक बढ़ाने (3 टन प्रति हेक्टेयर के राष्ट्रीय औसत से अधिक), घरेलू बाजार में मछली की खपत बढ़ाने और अन्य स्रोतों से मत्स्यपालन उद्योग में निवेश को आकर्षित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। पीएमएमएसवाई के अंतर्गत पहली बार मछली पकड़ने में इस्तेमाल किए जाने वाले नावों व जहाजों को बीमा कवरेज देने की योजना शुरू की जा रही है। जनवरी 2021 के मध्य तक, विभिन्न राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से ₹ 6567.20 करोड़ परिव्यय का प्रस्ताव दिया जा चुका था, जिसमें से ₹ 2309.08 करोड़ परिव्यय के विभिन्न प्रस्तावों को पहले ही स्वीकृति दी जा चुकी है।

कृषि अनुसंधान और शिक्षा

7.30 भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) एक मुख्य अनुसंधान संगठन है, जो संपूर्ण देश में बागवानी, मत्स्य पालन और पशु विज्ञान सहित कृषि अनुसंधान और शिक्षा में समन्वय, मार्गदर्शन तथा प्रबंधन में मदद देती है। मौजूदा वर्ष में, अक्टूबर 2020 तक खेत की कुल 172 नवीन/संकर प्रजातियों के फसलों, तथा 75 प्रकार के बागवानी फसलों के बारे में अधिसूचना/सूचना जारी की गई थी। आईसीएआर के नेतृत्व में, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रणाली ने मई 2014 से खेत की विभिन्न फसलों के 1406 प्रजातियों के बारे में अधि सूचना जारी किया और उपलब्ध कराया है। परिषद ने 27.11.2020 तक वर्ष 2020-21 के दौरान प्राकृतिक खाद्य प्रणाली के माध्यम से पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए खेत और बागवानी फसलों की 17 जैव-विविध ता वाली किस्मों का विकास किया है, जिससे जैव-विविधता वाली किस्मों की संख्या बढ़कर 71 हो गई है।

7.31 परिषद ने डीएसीएंडएफडब्ल्यू खेत की 51 प्रकार के फसलों की 1330 प्रजातियों के 115707 क्विंटल उत्पादक बीजों का उत्पादन किया है। आधार और प्रमाणित बीजों के वंश-वृद्धि के लिए इसे विभिन्न सार्वजनिक और निजी बीज उत्पादन एजेंसियों को उपलब्ध कराया गया। किसानों के लिए वानस्पतिक रूप से प्रसारित खेत की फसलों, फलों, सब्जियों और वृक्षारोपण फसलों के मामले में, 169 लाख रोपण सामग्री और 8.0 लाख टिशू कल्चर के पौधे भी तैयार किए गए।

प्राकृतिक संसाधन का प्रबंधन तथा एकीकृत कृषि

7.32 किसानों की भागीदारी में, परिषद ने स्थान विशिष्ट, किफायती, पर्यावरण के अनुकूल, सामाजिक रूप से स्वीकार्य बहु-उद्यम के 60 एकीकृत खेती प्रणाली विकसित किया है ताकि कृषि कार्य में जोखिमों को कम किया जा सकें और खेती की उत्पादकता/लाभप्रदता तथा संसाधनों से निर्धन छोटे और सीमांत कृषकों के आजीविका को बेहतर किया जा सकें। संबंधित राज्यों के लिए, विभिन्न कृषि-जलवायु क्षेत्रों के लिए उच्च उत्पादकता सक्षम जैव गहन फसल प्रणाली को फसल उत्पादन मार्गदर्शिका/अभ्यास प्रणाली में शामिल किया गया हैं।

7.33 परिषद ने कृषि-वोल्टीय प्रणाली विकसित की है ताकि फसलों के बीच के स्थान का इस्तेमाल कर विद्युत उत्पादन किया जा सकें और फोटोवोल्टिक (पीवी) मॉड्यूल के उपरी सतह से वर्षा जल को संचित किया जा सकें। यह देश में 100,000 मेगावाट सौर पीवी आधारित सौर विद्युत उत्पादन क्षमता के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को प्राप्त करने और किसानों की आय को दोगुना करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

जलवायु के प्रति लचीले तकनीकों का प्रदर्शन और उन्नयन

7.34 देश में जलवायु के प्रति लचीले तकनीकों का प्रदर्शन 446 गाँवों में किया जा रहा है जबकि लगभग 300 गाँवों के समूह में इनकी संख्या बढ़ाई गई है। वर्ष 2020-21 (27.11.2020 तक) में, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन (एनआरएम) मॉड्यूल के अंतर्गत 16355 प्रदर्शनों के अधीन 12453.93 हेक्टेयर क्षेत्र को कवर किया गया; फसल उत्पादन तकनीकों के 25325 प्रदर्शनों के अधीन 9061.34 हेक्टेयर क्षेत्र को कवर किया गया जबकि पशुधन और मत्स्य पालन टीकाकरण, चारे के अनुपूरण पर प्रदर्शन, आदि के अंतर्गत 48846 खेती के मवेशियों को कवर किया गया। कृषि विज्ञान केंद्रों (केवीके) ने 42655 किसानों को शामिल करते हुए जलवायु लचीले कृषि के लिए 1644 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए। सफल जलवायु लचीला प्रथाओं और तकनीकों के बारे में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए कुल 4367 विस्तार कार्यक्रमों का आयोजन किया गया जिससे 80684 किसान लाभान्वित हुए।

7.35 इसके अतिरिक्त, खराब मौसम और प्रतिकूल जलवायवीय परिस्थितयों के उत्पन्न होने पर राज्य कृषि विभागों द्वारा विभिन्न उपायों और वास्तविक समय में उनके कार्यान्वयन के लिए 651 आकस्मिक योजनाएं तैयार की गई हैं।

मशीनीकरण और फसल अवशेष का प्रबंधन

7.36 छोटे और सीमांत कृषकों को भाड़े पर खेती के लिए जरूरी उपकरण/मशीन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 9970, 2866, और 4170 कस्टम हायरिंग सेंटर क्रमशः पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में शुरू किए गए। फसलों के अवशेषों के प्रबंधन के लिए अनेक उपाय किए गए हैं, जिसमें (i) विगत दो वर्षों और माजूदा वर्ष में इन राज्यों के किसानों के मध्य 1,52,579 मशीनों का वितरण, (ii) फसल के अवशेषों के यथास्थान प्रबंधन के लिए जागरूकता फैलाना (विगत दो वर्षों और माजूदा वर्ष में 1,817 जागरूकता कार्यक्रम, 28,247 प्रदर्शन, 696 प्रशिक्षण कार्यक्रम और 130 किसान मेला आयोजित किए गए), (iii) लंबी अवधि में तैयार होने वाले किस्मों के स्थान पर कम समय में तैयार होने वाली धान की किस्मों का उपयोग करना। लंबी अवधि में तैयार होने वाले किस्मों के लिए क्षेत्रफल वर्ष 2019-20 के 8.30 लाख हेक्टेयर से घटकर वर्ष 2020-21 में 4.82 लाख हेक्टेयर रह गया। और (iv) फसल विविधीकरण (धान के क्षेत्रफल में कमी आई) शामिल है। इसके परिणामस्वरूप, इन राज्यों में फसलों को जलाने की घटनाएँ वर्ष 2016 में 127774 से घटकर वर्ष 2019 में 61332 रह गई।

उन्नत तकनीकों के साथ कृषकों और युवाओं तक पहुँचना

7.37 लगभग 3.37 लाख कॉमन सर्विस सेंटर को 721 केवीके के साथ जोड़ने से इन केवीके की पहुँच बहुत व्यापक हो गई है और ये किसानों के मांग के अनुसार सेवाएं और सूचनाएँ उपलब्ध कराते हैं। केवीके द्वारा खेतों में किए गए 34432 परीक्षणों तथा 2.44 लाख फ्रंटलाइन प्रदर्शनों के माध्यम से उन्नत तकनीक किसानों के खेतों तक पहुँचने लगी है। खेती की फसलों के लिए 2.01 लाख क्विंटल बीज, बागवानी के फसलों के लिए 348.01 लाख रोपने की सामग्रियाँ तथा 409.06 लाख पशुओं के उपभेदों और मछली की किस्में नाममात्र की कीमत पर किसानों को उपलब्ध कराया गया है।

खाद्य प्रसंस्करण सेक्टर

7.38 वर्ष 2018-19 को समाप्त हुए विगत 5 वर्षों के दौरान, 2011-12 के कीमतों पर कृषि उद्योग के 3.12 तथा विनिर्माण उद्योग के 8.25 प्रतिशत की तुलना में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग (एफपीआई) ने औसतन 9.99 प्रतिशत वार्षिक दर से विकास किया हैं। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग जीडीपी, रोजगार और निवेश में अपने योगदान के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था के एक महत्वपूर्ण स्तंभ के रूप में भी उभरा है। वर्ष 2011-12 के कीमतों पर, इस उद्योग का वर्ष 2018-19 के लिए विनिर्माण उद्योग में सकल मूल्य वर्धित योगदान 8.98 प्रतिशत रहा है। चित्र 13 में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के तुलनात्मक प्रदर्शन को दिखाया गया है।

चित्र 13: विभिन्न उद्योगों में जीवीए का विकास

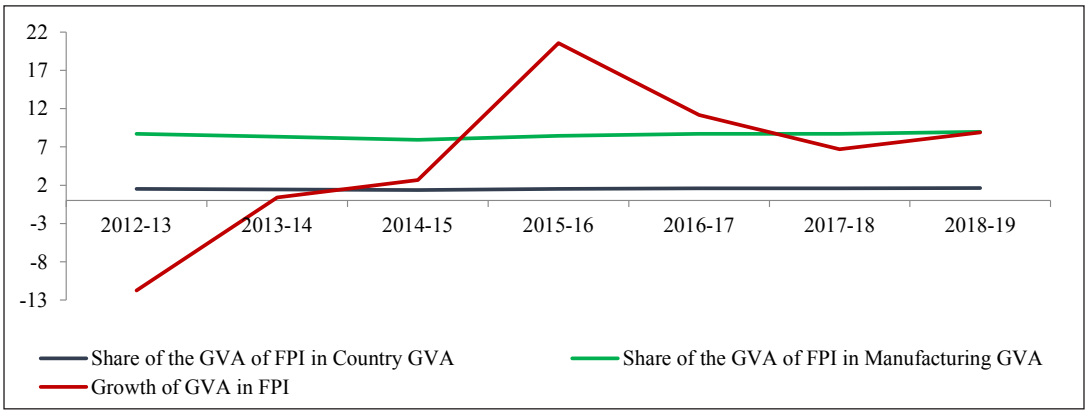

स्रोत: खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई)

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में नवीन पहल

सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का औपचारिकरण

7.39 आत्म-निर्भर भारत अभियान के अंतर्गत, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) ने केंद्र प्रायोजित एक योजना शुरू की है, जिसका नामकरण प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों के औपचारीकरण की योजना (पीएम-एफएमई) रखा गया है और इस योजना के अंतर्गत 2020-2025 के बीच ₹ 10,000 खर्च करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी के माध्यम से इस योजना से लगभग 2 लाख सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों के लाभान्वित होने का अनुमान व्यक्त किया गया है। आदानों की खरीद, आम सेवाओं और उत्पादों के विपणन के संदर्भ में बड़े स्तर पर लाभ प्राप्त करने के लिए यह योजना एक मंडल एक उत्पाद (ओडीओपी) दृष्टिकोण पर कार्य करती है। राज्य को मौजूदा समूहों और कच्चे माल की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए एक मंडल के लिए खाद्य उत्पाद की पहचान करनी की जरूरत है। ओडीओपी उत्पादों के लिए सामान्य अवसंरचना और ब्रांडिंग और विपणन की सुविधा देंगे। यह योजना अपशिष्ट से बेहतरीन उत्पादों, लघु वन उत्पाद और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट[1] पर ध्यान देती है।

7.40 अपने इकाई का आधुनिकीकरण करवाने के इच्छुक मौजूदा एकल सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयाँ अपनी योग्य परियोजना लागत के 35 प्रतिशत तक क्रेडिट-लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी का लाभ उठा सकती हैं, हालाँकि इसके लिए प्रति यूनिट ₹ 10 लाख की अधिकतम सीमा तय की गई है। प्रति एसएचजी सदस्य को ₹ 40,000 की दर से प्रारंभिक पूँजी छोटे उपकरणों की खरीद तथा कार्यशील पूँजी के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। वैल्यू चेन के साथ पूँजी निवेश के लिए, एफपीओ/एसएचजी/उत्पादक सहकारी संगठनों को 35 प्रतिशत का क्रेडिट लिंक्ड अनुदान दिया जाएगा। एफपीओ/एसएचजी/सहकारी समितियों या राज्य के स्वामित्व वाली एजेंसियों या निजी उद्यम के माध्यम से समूह में सूक्ष्म इकाइयों के उपयोग के लिए सामान्य प्रसंस्करण सुविधा, प्रयोगशाला, गोदाम, कोल्ड स्टोरेज, पैकेजिंग और इन्क्यूबेशन सेंटर सहित सामान्य अवसंरचना ढांचे के विकास के लिए 35 प्रतिशत की दर से क्रेडिट लिंक्ड अनुदान उपलब्ध कराया जाएगा। राज्य और क्षेत्रीय स्तर पर 50 प्रतिशत अनुदान के साथ सूक्ष्म इकाइयों और समूहों को ब्रांड विकसित करने के लिए विपणन और ब्रांडिंग की सहायता दी जाएगी, जिससे बड़ी संख्या में सूक्ष्म इकाईयाँ लाभान्वित होंगी। 35 राज्यों/केंद्र-शासित प्रदेशों के 703 मंडलों में 137 अद्वितीय उत्पादों के लिए ओडीओपी की अनुशंसा की गई है। 34 राज्यों/केंद्र-शासित प्रदेशों के 650 मंडलों में ओडीओपी की अनुशंसा की गई है।

हरित क्रांति (ऑपरेशन ग्रीन्स)

7.41 एमओएफपीआई एक केंद्रीय क्षेत्र योजना हरित क्रांति (ऑपरेशन ग्रीन्स) - टमाटर, प्याज और आलू के मूल्य श्रृंखला के एकीकृत विकास के लिए एक योजना-निष्पादित कर रही है ताकि कृषि उत्पादों की कीमत कम होने पर कृषकों की मदद की जा सकें। इस योजना का उद्देश्य कीमत बढ़ने के दौरान बाजार में हस्तक्षेप करना नहीं है। इस योजना के अधीन लघु-अवधि में कीमतों को स्थिर करने के उपायों में अत्यधिक आपूर्ति के दौरान उत्पादन क्षेत्र से खपत केंद्र तक अतिरिक्त उत्पादों के परिवहन और भंडारण लागत में 50 प्रतिशत की सब्सिडी प्रदान करना शामिल हैं। नवंबर 2020 तक, 5 स्वीकृत परियोजनाएँ (आंध्र प्रदेश तथा गुजरात में टमाटर के लिए 2, गुजरात और महाराष्ट्र में प्याज के लिए 2 और गुजरात में आलू के लिए 1) निष्पादित की जा रही हैं।

7.42 आत्म-निर्भर भारत के अंतर्गत, इस योजना को टमाटर, प्याज और आलू (टीओपी) की फसलों से आगे अन्य अधिसूचित बागवानी फसलों (कुल) के लिए छः महीने के लिए बढ़ाया गया है। भारतीय रेल द्वारा संचालित रेल के माध्यम से फलों और सब्जियों के परिवहन के लिए ट्रांसपोर्ट सब्सिडी उपलब्ध कराई जा रही है।

1 नीति आयोग ने देश ने 112 सबसे पिछड़े मंडलों की पहचान एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के रूप में की है।

उत्पादन-लिंक्ड इंसेंटिव (पीएलआई) योजना

7.43 नवंबर 2020 में सरकार ने उत्पादन-लिंक्ड इंसेंटिव (पीएलआई) योजना को 10 मुख्य क्षेत्रों के लिए लागू करने के लिए अपनी स्वीकृति दी, जिसमें खाद्य प्रसंस्करण शामिल है। इस योजना का लक्ष्य भारत के निर्माण क्षमताओं को बेहतर बनाना तथा निर्यात में सुधार करना है। खाद्य प्रसंस्करण में पीएलआई योजना के लिए ₹ 10900 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। चिन्हित किए गए खाद्य क्षेत्रों में खाने के लिए तैयार/ पकाने के लिए तैयार खाद्य पदार्थ, मरीन उत्पाद, प्रसंस्कृत फल और सब्जियां, मोज्जरेल्ला पनीर और एसएमई का नवीनतम/ कार्बनिक उत्पाद शामिल है। यह योजना विदेशों में ब्रांडिंग और मार्केटिंग को भी सहारा देगी।

प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई)

7.44 प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई) के एकछत्र योजना के अंतर्गत, मंत्रालय विभिन्न कार्यक्रमों को परियोजना के घटक के रूप में लागू कर रही है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ (i) मेगा फूड पार्क, (ii) इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन और वैल्यू एडिशन इन्फ्रास्ट्रक्चर, (iii) एग्रो-प्रोसेसिंग क्लस्टर्स के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर, (iv) बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज का निर्माण (v) खाद्य प्रसंस्करण और परिरक्षण क्षमता का निर्माण/विस्तार, और (vi) ऑपरेशन ग्रीन्स शामिल है। तालिका 2 में 31.12. 2020 तक स्वीकृत और पूर्ण हुए परियोजनाओं/प्रगति के अधीन परियोजनाओं की स्थिति को देखा जा सकता हैं।

तालिका 2: पीएमकेएसवाई के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाएं और पूर्ण/प्रगतिशील परियोजनाएं

क्र.सं.	योजना का नाम	स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या	पूर्ण हुए परियोजनाओं/प्रगति के अधीन परियोजनाओं की संख्या
1	मेगा फूड पार्क	37	21
2	कोल्ड चेन	327	210
3	एग्रो-प्रोसेसिंग क्लस्टर्स	55	0
4	यूनिट स्कीम	287	44
5	बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज	62	21
6	ऑपरेशन ग्रीन्स	5	0
	कुल	**773**	**296**

स्रोत: एमओएफपीआई

खाद्य प्रबंधन

7.45 खाद्यान्न भंडार के विवेकपूर्ण प्रबंधन के लिए और केंद्रीय पूल में गेहूं और चावल की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने, गेहूं और चावल की घरेलू उपलब्धता को बढ़ाने और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, केंद्र सरकार ने निम्नलिवित उपाय किए हैं:

I. किसानों के हितों की रक्षा के लिए गेहूं और धान का एमएसपी बढ़ा दिया गया है

II. राज्य सरकारें, विशेष रूप से विकेन्द्रीकृत अधिप्राप्ति करने वाले उपक्रमों को राज्य एजेंसियों द्वारा गेहूँ और चावल की अधिकतम खरीद के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

III. मौजूदा बफर मानदंडों से 5 मिलियन टन अधिक खाद्यान्न के सामरिक भंडार को बनाए रखा गया है ताकि उनका उपयोग प्रतिकूल परिस्थितियों में किया जा सकें।

IV. बाजार में भोजन की मुद्रास्फीति की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने के लिए खुली बाजार बिक्री योजना के माध्यम से गेहूं और चावल की बिक्री की जाती है।

खाद्यानों की खरीद

7.46 खरीफ के विपणन सत्र (केएमएस) 2019-20 के दौरान, अनुमानित लक्ष्य 529.05 लाख मीट्रिक टन (एलएमटी) के विरूद्ध 519.97 एलएमटी धान की खरीद की गई थी। आगामी केएमएस 2020-21 में, 374.93 एलएमटी चावल की खरीद दिनांक 15.1.2021 तक की गई थी। रबी के विपणन सत्र (आरएमएस) 2020-21 के दौरान 389.92 एलएमटी गेहूं की खरीद की गई थी जबकि आरएमएस 2019-20 के दौरान 347.89 एलएमटी गेहूं की खरीद की गई थी। इस प्रकार, खरीफ के विपणन सत्र 2020-21 के दौरान 18.01.2021 तक कुल 4.78 एलएमटी मोटे अनाज की खरीद की गई थी। चित्र 14 तथा 15 विगत पांच वर्षों के दौरान खाद्यानों के खरीद की प्रवृति को प्रदर्शित करता हैं।

चित्र 14: विगत पांच वर्षों के दौरान चावल और गेहूं की खरीद (लाख टन)

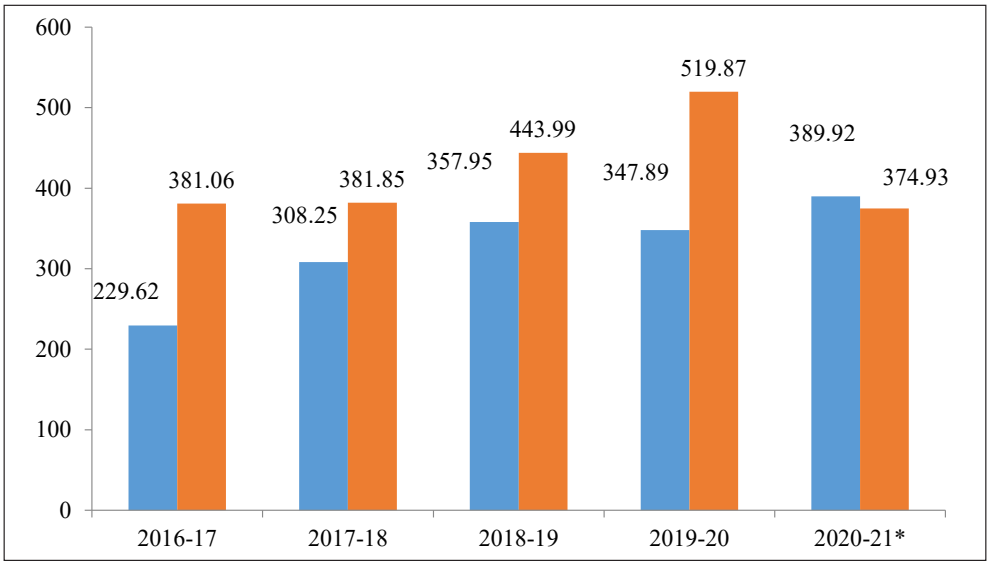

स्रोत: भारतीय खाद्य निगम और डीएफपीडी की वेबसाइट से प्राप्त आकड़ों के आधार पर।
* 15.01.2021 तक।

चित्र 15: विगत पांच वर्षों के दौरान मोटे अनाज की खरीद (हजार टन)

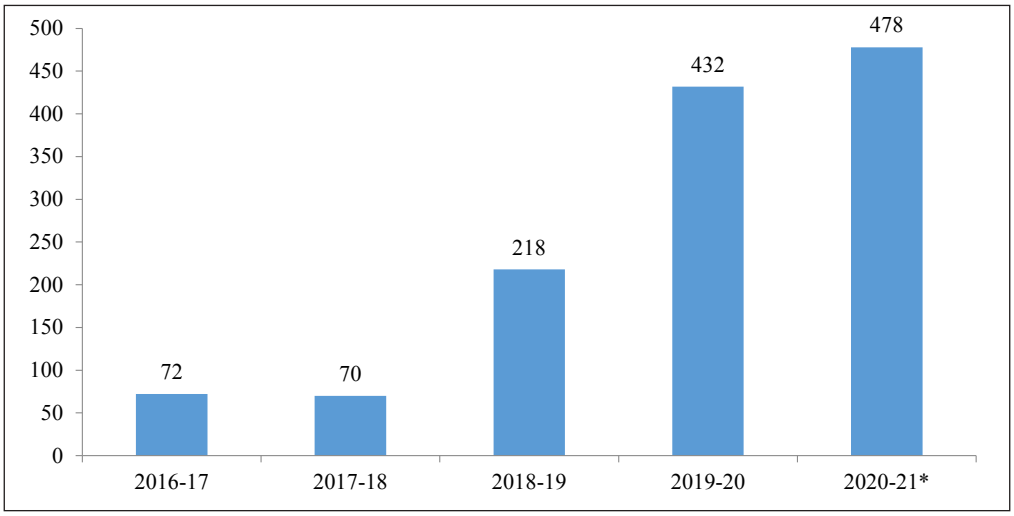

स्रोत: भारतीय खाद्य निगम और डीएफपीडी की वेबसाइट से प्राप्त आकड़ों के आधार पर।
* 18.01.2021 तक।

खाद्यान्नों का आवंटन

7.47 वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान, खाद्यान्नों का आवंटन दो चौनलों के माध्यम से किया गया है- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएम-जीकेएवाई) योजना। वर्तमान समय में, एनएफएसए को सभी 36 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में लागू किया जा रहा है और वे एनएफएसए के अंतर्गत खाद्यान्नों का मासिक आवंटन प्राप्त कर रहे हैं। वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान (18.10.2021 तक), खाद्यान्नों की अंतर-राज्यीय परिवहन तथा उचित मूल्य दुकान के डीलर के लाभ के लिए केंद्रीय सहायता के रूप में ₹ 3679.82 करोड़ का अनुदान राज्य सरकारों को दिया गया।

7.48 कोविड-19 से निपटने के लिए आर्थिक प्रतिक्रिया के हिस्से के रूप में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के अधीन निर्धन लोगों के लिए की गई घोषणा के आलोक में, भारत सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएम-जीकेएवाई) उन सभी लाभार्थियों के लिए शुरू की जिन्हें लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) (एएवाई और पीएचएच) के अधीन कवर किया गया है, जिसमें वे लाभार्थी भी शामिल हैं, जिन्हें 3 महीने यानी अप्रैल-जून 2020 की अवधि के लिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) के अधीन कवर किया गया हैं। इस योजना के अंतर्गत टीपीडीएस से मिलने वाले खाद्यान्न के अलावे, लाभार्थी केंद्रीय पूल से मुफ्त में प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम अनाज अतिरिक्त प्राप्त करेंगे। तदनुसार, लगभग 121 एलएमटी वाद्यान्न लगभग 80.96 करोड़ लाभार्थियों को आवंटित किया गया, जिस पर सब्सिडी के रूप में लगभग 46061 करोड़ रूपये खर्च हुए। पीएम-जीकेएवाई योजना को आगे 5 महीनों के लिए यानि जुलाई-नवंबर 2020 तक के लिए बढ़ा दिया गया। तदनुसार, लगभग 201 एलएमटी खाद्यान्न मुफ्त में वितरण के लिए आवंटित किया गया है जिस पर सब्सिडी के रूप में लगभग 76062.11 करोड़ रूपये खर्च होंगे।

7.49 इसके अतिरिक्त, आत्म-निर्भर भारत पैकेज के अंतर्गत, भारत सरकार ने 5 किलोग्राम प्रति महीना प्रति व्यक्ति की दर से दो महीनें (मई और जून 2020) के लिए मुफ्त में खाद्यान्न (गेहूं और चावल) आवंटित किया था, जिससे लगभग 8 करोड़ वैसे प्रवासी/फंसे हुए प्रवासी मजदूर लाभान्वित हुए जो एनएफएसए या राज्य राशन कार्ड के अंतर्गत कवर नहीं किए गए थे। इस योजना पर सरकार ने सब्सिडी के रूप में लगभग 3109 करोड़ रूपये खर्च किए। पहले से ही उठाए गए खाद्यान्न (25.06.2020 तक) के प्रवासियों के मध्य वितरण की अवधि को 31 अगस्त 2020 तक बढ़ा दिया गया था। एएनबीपी के अंतर्गत, औसतन मई और जून 2020 के लिए प्रति महीना के दर से लगभग 2.74 करोड़ लोगों को शामिल किया गया। इस प्रकार, लगभग 5.48 करोड़ लोगों को लगभग 2 एलएमटी चावल तथा 0.74 एलएमटी गेंहू दिया गया, जिसपर कुल व्यय 989.30 करोड़ रूपए हुए।

7.50 वर्ष 2020-21 के दौरान, भारत सरकार ने अभी तक (दिसंबर 2020 के अंत तक) 943.53 लाख टन खाद्यान्न राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को एनएफएसए और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत आवंटित किए हैं, जिसका विवरण नीचे चित्र 13 में दिया गया है।

चित्र 16: विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत आवंटन का बंटवारा
(प्रतिशत में हिस्सेदारी और लाख टन में मात्रा)

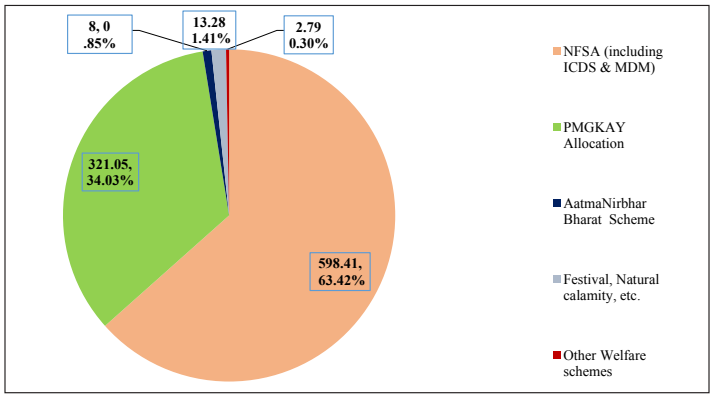

स्रोत: खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग (डीएफपीडी) से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर।

चावल को पोषणयुक्त बनाना तथा इसका वितरण करना

7.51 एनीमिया और सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी की समस्या से निपटने और देश में पोषण सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए, वर्ष 2019-20 में ₹ 174.64 करोड़ के कुल बजटीय परिव्यय के साथ 3 वर्षों की अवधि के लिए ''सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन चावल को पोषणयुक्त बनाने और इसके वितरण" के लिए एक केंद्र प्रायोजित पायलट योजना स्वीकृत की गई थी। भारत सरकार द्वारा पायलट योजना को उत्तर पूर्वी, पहाड़ी और द्वीपीय राज्यों के संबंध में 90:10 के अनुपात में और बाकी राज्यों के लिए 75:25 के अनुपात में वित्त पोषित किया जा रहा है।

7.52 निष्पादन के शुरूआती चरण में पायलट योजना 15 मंडलों में लागू की जाएगी, मुख्य रूप से प्रत्येक राज्य के एक मंडल में निम्नलिखित राज्य सरकारों, यानि, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, ओडिशा, असम, गुजरात, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना, पंजाब, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश ने अपनी सहमति दी हैं और पायलट योजना के लिए संबंधित मंडलों की पहचान की हैं। उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु ने योजना के अंतर्गत पहले ही अपने चयनित मंडलों में पोषणयुक्त चावल का वितरण शुरू कर दिया है।

एक राष्ट्र एक राशन कार्ड

7.53 सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के साथ मिलकर खाद्य और सार्वजानिक वितरण विभाग सार्वजानिक वितरण प्रणाली का एकीकृत प्रबंधन (आईएम-पीडीएस)" नाम की एक योजना लागू कर रहा है, जिसकी वैधता अवधि 31.03.2022 तक है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य 'एक राष्ट्र एक राशन कार्ड' प्रणाली के माध्यम से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के अंतर्गत देश भर में राशन कार्ड की पोर्टेबिलिटी को शुरू करना है। यह राशन कार्ड धारकों को मौजूदा राशन कार्ड का उपयोग कर देश में किसी भी उचित मूल्य की दुकान (एफपीएस) से खाद्यान्न प्राप्त करने में सक्षम बनाएगी। वर्तमान समय में, राशन कार्ड की राष्ट्रीय/अंतर्राज्यी पोर्टेबिलिटी 32 राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेशों में लागू है जिससे 69 करोड़ लोग लाभान्वित हो रहे हैं (जो कुल एनएफएसए आबादी का 86 प्रतिशत हैं)। इस प्रणाली के अंतर्गत चंडीगढ़ और पुदुचेरी में छूट पर खाद्यान्न के बदले खाद्यान्न के बराबर डीबीटी (नगद स्थानांतरण) उपलब्ध कराया जा रहा है।

खुले बाजार में बेचने की योजना (घरेलू)

7.54 खाद्यान्नों का बफर स्टॉक बनाएं रखने तथा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) तथा अन्य कल्याणकारी योजनाओं (ओडब्लूएस) के प्रावधानों को पूरा करने के लिए, सरकार के निर्देश पर भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) केंद्रीय पूल से अतिरिक्त स्टॉक को खुले बाजार में बिक्री की योजना (घरेलू) [ओएमएसएस (डी)] के अंतर्गत समय-समय पर पहले से निर्धारित कीमतों पर खुले बाजार में बेचती हैं। वर्ष 2020-21 में, एफसीआई ने केंद्रीय पूल से ओएमएसएस (डी) योजना के अंतर्गत खुले बाजार में 150 लाख एमटी गेहूं की बिक्री का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसी प्रकार, वर्ष 2020-21 में, एफसीआई ने केंद्रीय पूल से ओएमएसएस (डी) योजना के अंतर्गत खुले बाजार में 50 लाख एमटी चावल की बिक्री का लक्ष्य निर्धारित किया है। विगत 4 वर्षों के दौरान तथा वर्ष 2020-21 में ओएमएसएस (डी) योजना के अंतर्गत खुले बाजार में बेचे गए गेहूं और चावल की मात्राओं को चित्र 17 में प्रदर्शित किया गया है।

7.55 मौजूद लॉकडाउन की परिस्थितियों में प्रवासी मजदूरों/कमजोर समूहों के लिए बचाव/सामुदायिक रसोई संचालित करने वाले परोपकारी/गैर-सरकारी संगठनों आदि को खाद्यानों की आपूर्ति करने के लिए, दिनांक 8 अप्रैल 2020 से एक विशेष वितरण योजना शुरू की गई। इस योजना के अंतर्गत, 21 रूपये प्रति किलोग्राम के समरूप कीमत पर गेहूं तथा 22 रूपये प्रति किलोग्राम के समरूप कीमत पर चावल परोपकारी संस्थाओं/एनजीओ को उपलब्ध कराया गया था। इस योजना के अंतर्गत किसी भी एफसीआई डिपो से प्रत्येक संगठन को खाद्यान्नों के आवंटन पर कोई उपरी सीमा लागू नहीं थी। यह विशेष वितरण योजना शुरू में जून 2020 तक के लिए लागू थी; हालाँकि, इसे उसी दर, नियमों व शर्तों के आधार पर शेष 2020-21 के लिए बढ़ा दिया गया है। इस योजना के अंतर्गत, 12.01.2020 तक, 229 परोपकारी संस्थाओं/एनजीओ द्वारा क्रमशः कुल 1246 एमटी गेहूं और 10418 एमटी चावल की खरीद की गई है।

चित्र 17: ओएमएसएस (डी) योजना के अंतर्गत बेचे गए गेहूं और चावल की मात्रा
(मात्रा लाख एमटी में)

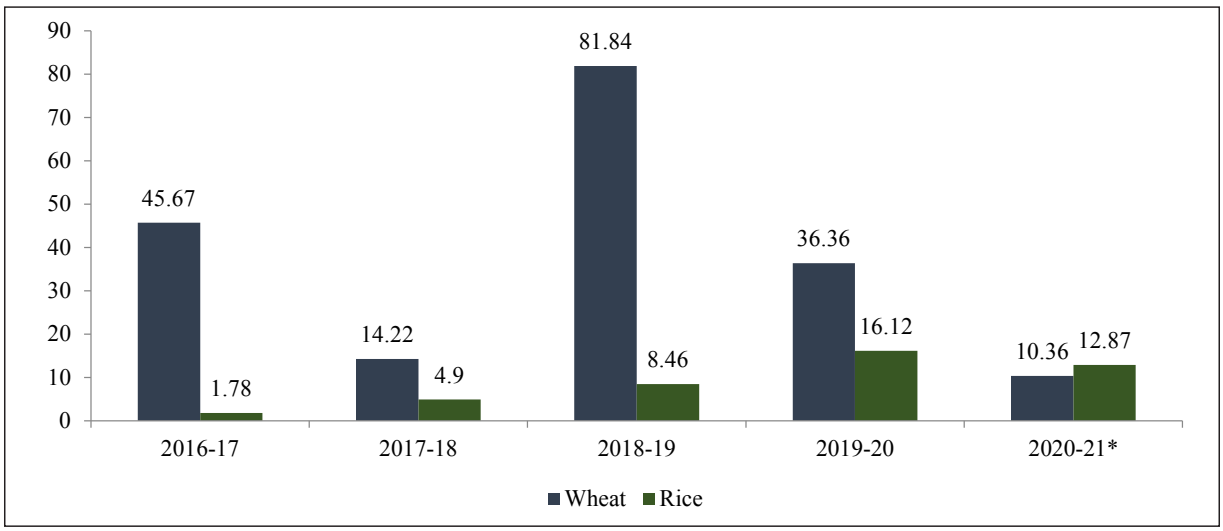

स्रोत: डीएफपीडी से प्राप्त आकड़ों के आधार पर

* दूसरा टेंडर जनवरी 2020 तक।

खाद्य सब्सिडी

7.56 प्रति क्विंटल आर्थिक लागत तथा प्रति क्विंटल केंद्रीय निर्गम मूल्य (सीआईपी) के बीच अंतर प्रति क्विंटल खाद्य सब्सिडी के परिमाण के बारे में सूचित करता है। कमजोर लोगों के लिए खाद्यान्न सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, सरकार एनएफएसए के अंतर्गत छूटयुक्त कीमतों पर खाद्यानों की आपूर्ति जारी रखे हुए है। एनएफएसए लाभार्थियों के लिए गेहूं और चावल की सीआईपी का पुनरीक्षण वर्ष 2013 में इस अधिनियम के प्रारंभ से संशेधित नहीं किया गया है जो कि गेहूं के मामले में ₹ 200 प्रति क्विंटल और चावल के मामले में ₹ 300 प्रति क्विंटल थी। दूसरी ओर, एफसीआई के लिए गेहूं की आर्थिक लागत वर्ष 2013-14 के ₹ 1908.32 प्रति क्विंटल से बढ़कर वर्ष 2020-21 में ₹ 2683.84 प्रति क्विंटल हो गई। उसी तरह से, चावल की आर्थिक लागत वर्ष 2013-14 के ₹ 2615.51 प्रति क्विंटल से बढ़कर वर्ष 2020-21 में ₹ 3723.76 प्रति क्विंटल हो गई है। सबसे बढ़कर, एनएफएसए पूर्वर्ती टीपीडीएस की तुलना में अधिक व्यापक कवरेज प्रदान करती है। इन सभी कारकों की वजह से फूड सब्सिडी निरंतर बढ़ती रही है (चित्र 18)।

चित्र 18: वर्ष 2009-10 से भारत सरकार द्वारा जारी किए गए खाद्य सब्सिडी की प्रवृति

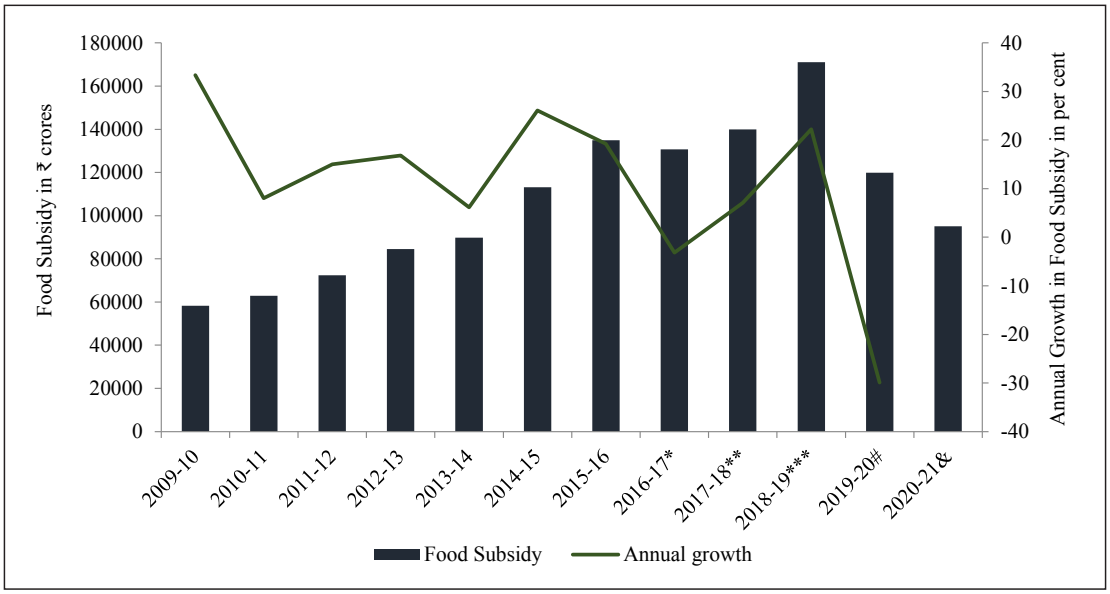

स्रोत: डीएफपीडी से प्राप्त आकड़ों के आधार पर

नोट: वित्त वर्ष 2020-21 में जारी किए गए कुल खाद्यान्न में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) योजना के अंतर्गत जारी किया गया ₹ 8347.86 करोड़ रूपया शामिल हैं।

*इसमें राष्ट्रीय लघु बचत निधि (एनएसएसएफ) द्वारा एफसीआई को दिया गया ₹ 25000 करोड़ का ऋण शामिल है। **इसमें एनएसएसएफ द्वारा एफसीआई को दिया गया ₹ 40000 करोड़ का ऋण शामिल है। ***इसमें एनएसएसएफ द्वारा एफसीआई को दिया गया ₹ 70000 करोड़ का ऋण शामिल है और वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान वित्त मंत्री के निर्देश पर मार्च 2020 में एमओएफ के निर्देशों के आलोक में एफसीई को स्वीकृत किए गए अप्रयुक्त एनएसएसएफ ऋण में 11436 करोड़ रूपये का पुनर्भुगतान 30.11.2020 तक # डीसीपी राज्यों को किया गया है। वित्त वर्ष 2020-21 में डीसीपी मद के अंतर्गत बजटीय आवंटन से एफसीआई को ₹ 11436 करोड़ में से ₹ 10000 करोड़ वापस कर दिया गया है।

भंडारण

7.57 खाद्यान्नों के भंडारण के लिए, 31.12.2020 तक एफसीआई और राज्य एजेंसियों के पास कुल 819.19 एलएमटी की भंडारण क्षमता उपलब्ध थी, जिसमें 669.10 एलएमटी क्षमता वाला ढंका हुआ गोदाम और 150.09 एलएमटी क्षमता की कवर्ड तथा प्लिंथ (सीएपी) सुविधा शामिल है। कुल उपलब्ध 819.19 एलएमटी की भंडारण क्षमता में से, एफसीआई के पास 407.76 एलएमटी की भंडारण क्षमता है जबकि राज्य एजेंसियों के पास 411.43 एलएमटी की भंडारण क्षमता है। केंद्रीय पूल में चावल और गेंहू का भंडार 1.1.2021 तक 529.59 एलएमटी था।

7.58 निजी क्षेत्र के साथ-साथ केंद्रीय भंडारण निगम (सीडब्ल्यूसी) और राज्य भंडारण निगम (एसडब्ल्यूसी) के माध्यम से निजी उद्यमी गारंटी (पीईजी) योजना के अंतर्गत 24 राज्यों में पीपीपी मोड में गोदामों के निर्माण की प्रक्रिया शुरू की गई हैं। इस योजना के अंतर्गत 30.11.2020 तक, ऐसे निर्मित गोदामों की कुल क्षमता 144.06 एलएमटी है। इसके अलावे, एफसीआई एक केंद्रीय क्षेत्र योजना के माध्यम से पूर्वोत्तर राज्यों, केरल, झारखंड और हिमाचल प्रदेश में गोदामों का निर्माण कर रही है। देश में भंडारण के बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण और भंडारित खाद्यान्नों के शेल्फ जीवन को बढ़ाने के उद्देश्य से, भारत सरकार ने सार्वजानिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मोड के माध्यम से 100 एलएमटी की क्षमता के स्टील सिलोस बनाने की योजना को स्वीकृति प्रदान की है। इस योजना के संगत, 31.12.2020 तक, कुल 8.25 एलएमटी क्षमता के सिलो का निर्माण किया गया था।

केंद्रीय भंडारण निगम

7.59 देश भर में सीडब्ल्यूसी के पास 423 गोदाम है। सीसीआई के कपास गांठों के प्रबंधन भंडारण क्षमता सहित जिनकी कुल भंडारण क्षमता लगभग 117 लाख एमटी है। दिसंबर 2020 में, कुल क्षमता का 86 प्रतिशत उपयोग किए जाने की संभावना है। वित्त वर्ष 2019-20 वित्त वर्ष 2020-21 के छह महीने (अप्रैल से सितंबर) के दौरान औसत अधिभोग प्रतिशत वित्त वर्ष 2019-20 की इसी अवधि के दौरान 86 प्रतिशत की तुलना में 89 प्रतिशत था। मौजूदा वित्त वर्ष में, सीडब्ल्यूसी ने पीईजी के अंतर्गत भदोही (उत्तर प्रदेश) में 10000 एमटी क्षमता वाले गोदाम का निर्माण किया है।

इथानोल

7.60 सरकार ने वर्ष 2022 तक पेट्रोल में एथेनॉल को मिश्रित करने का लक्ष्य 10% निर्धारित किया है और वर्ष 2030 तक मिश्रित करने का लक्ष्य 20% निर्धारित किया गया है। मिश्रित करने के इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, सरकार चीनी मीलों और मोलासेस-आधारित स्टैंडअलोन डिस्टिलरी को विभिन्न प्रकार की वित्तीय सहायता देकर उनके विलयन क्षमता को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहती है। एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल (ईबीपी) प्रोग्राम के अधीन एथेनॉल की आपूर्ति, जो वर्ष 2013-14 के दौरान मात्र 38 करोड़ लीटर थी, वह एथेनॉल आपूर्ति वर्ष (ईएसवाई) 2018-19 के दौरान बढ़कर 189 करोड़ लीटर हो गई और यह ईएसवाई 2019-20 के दौरान 173 करोड़ लीटर थी। ईएसवाई 2020-21 के दौरान, लगभग 325 करोड़ लीटर एथेनॉल के उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है ताकि ईएसवाई 2020-21 में 8.5 प्रतिशत मिश्रण का लक्ष्य प्राप्त किया जा सके। वही ईएसवाई 2021-22 के दौरान लगभग 400 करोड़ लीटर एथेनॉल के उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है ताकि ईएसवाई 2021-22 में 10 प्रतिशत मिश्रण का लक्ष्य प्राप्त किया जा सके। सरकार ने एफसीआई के पास उपलब्ध अतिरिक्त चावल और मक्के को एथेनॉल में बदलने की अनुमति प्रदान की है ताकि मिश्रण करने के इन लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त किया जा सकें।

हाल ही में कृषि सुधार: एक उपचार, एक व्याधि नहीं

7.61 भारत के राष्ट्रपति ने 27 सितंबर 2020 को तीन कृषि संबंधित क्षेत्र सुधारों-किसान उपज व्यापार एवं वाणिज्य (संवर्धन एवं सुविधा) अधिनियम, मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा अधिनियम पर किसान (सशक्तीकरण और संरक्षण) समझौता और आवश्यक वस्तु (संशोधन) अधिनियम-को अपनी स्वीकृति प्रदान की। इन सुधारों के बड़े प्रावधानों का उल्लेख नीचे किया गया है।

किसान उपज व्यापार एवं वाणिज्य (संवर्धन एवं सुविधा) अधिनियम, 2020

7.62 इसका उद्देश्य एक ऐसे पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना है जहाँ किसान तथा व्यापारी अपने कृषि उत्पादों के खरीद और बिक्री अपनी इच्छा से कर सकें। यह सुधार किसानों और खरीदारों को कृषि उत्पादों को, यहां तक कि एपीएमसी मंडियों के बाहर भी, बेचने की अनुमति देता है। इस प्रकार, यह कुशल विधयेक पारदर्शी और परेशानी-रहित अंतर-राज्यीय और राज्यान्तर्गत व्यापार को बढ़ावा देने के लिए किसानों को एक प्रतिस्पर्धी वैकल्पिक व्यापारिक मार्ग उपलब्ध कराना सुनिश्चित करता है।

मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा अधिनियम पर किसान (सशक्तीकरण और संरक्षण) समझौता अधिनियम, 2020

7.63 इसका लक्ष्य अनुबंध कृषि के लिए एक राष्ट्रीय ढ़ांचे का निर्माण करना है। यह सुधार किसानों की सुरक्षा और सशक्तिकरण सुनिश्चित करते हुए उन्हें कृषि व्यवसाय से जुड़ी कंपनियों, प्रसंस्करण-कर्ताओं, थोक व्यापारियों, निर्यातकों या कृषि सेवाओं के बड़े खुदरा विक्रेताओं से जुड़ने में सक्षम बनाता है ताकि वे भविष्य

की खेती की बिक्री के लिए एक उचित और पारदर्शी व आपसी सहमति पर आधारित पारिश्रमिक मूल्य पर उत्पादन करने में सक्षम हो सकें।

आवश्यक वस्तु (संशोधन) अधिनियम, 2020

7.64 इसका उद्देश्य जिंसों जैसे अनाजों, दालों तिलहनों, प्याज और आलू को आवश्यक वस्तुओं की सूची से निकालना है। यह सुधार असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर बार-बार थोपे जाने वाले स्टॉक करने की सीमा को समाप्त करना चाहता है।

कृषि सुधारों से लाभ

7.65 भारत में किसानों को लंबे समय से अपने उत्पादों को बेचने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता रहा हैं। किसानों द्वारा अधिसूचित एपीएमसी मार्केट यार्ड से बाहर कृषि-उत्पादों को बेचने पर प्रतिबंध है। इसके अलावा, किसानों को राज्य सरकार के पंजीकृत लाइसेंसधारकों को छोड़कर किसी अन्य से कृषि-उत्पादों को बेचने की मनाही है। राज्य सरकारों द्वारा अधिनियमित विभिन्न प्रकार के एपीएमसी कानूनों की वजह से एक राज्य से दूसरे राज्य में कृषि उत्पादों के परेशानी-रहित परिवहन में अनेक बाधाएं आती हैं।

7.66 वास्तविकता यह है कि एपीएमसी कानूनों की वजह से कृषकों को विभिन्न प्रकार की अकुशलताओं और हानियों का सामना करना पड़ता है। सबसे पहली और बड़ी अकुशलता किसानों तथा अंतिम उपभोक्ताओं के बीच असंख्य बिचौलियों की मौजूदगी है, जिससे वे अपने उत्पाद की कम से कम कीमत प्राप्त कर पाते हैं। इसके साथ ही, एपीएमसी किसानों से विभिन्न प्रकार के कर और उपकार वसूलती है जिससे किसानों को अपने उत्पाद की उचित कीमत प्राप्त करने में परेशानी होती है और किसानों से वसूल किए गए करों के बहुत कम हिस्से का उपयोग मंडी के अवसंरचना के विकास पर खर्च किया जाता है। मंडी में खराब अवसंरचना की वजह से किसानों को उचित कीमत प्राप्त करने की समस्या कई गुना बढ़ जाती है। हाथों से तौलने की समस्या, एकल खिड़की का अभाव और आधुनिक ग्रेडिंग और सॉर्टिंग प्रक्रियाओं की कमी से बहुत विलंब और माप से संबंधित गलतियाँ उत्पन्न होती हैं, जो विक्रेता के विरूद्ध पक्षपाती हो जाती हैं। अक्सर चिलचिलाती धूप में अपनी बारी आने का इंतजार कर रहे किसानों की लंबी कतार और अन्य मंडियों में कीमत अधिक होने के बावजूद किसानों को अपनी उपज को बेचने की सीमित क्षमता एपीएमसी मंडियों की एक विशेषता है। इस विलंब की वजह से कटाई के बाद अनाज और दालों में 4-6 प्रतिशत, सब्जियों में 7-12 प्रतिशत और फलों में 6-18 प्रतिशत का नुकसान होता है। 2009 के थोक कीमतों पर, कटाई के बाद कुल 44,000 करोड़ रूपये की हानि होने का अनुमान व्यक्त किया गया है[2]।

7.67 मौजूदा बाजार विनियमों की सीमाओं को समझते हुए, विभिन्न समितियों ने कृषि जिंसों के विपणन के लिए अनेक सुझावों की अनुशंसा की है। कृषि बाजार में सुधारों की कुछ अनुशंसा का उदाहरण बॉक्स 3 में दिया गया है।

7.68 मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा अधिनियम पर किसान (सशक्तीकरण और संरक्षण) समझौता अधिनियम, 2020 किसानों को प्रसंस्करण-कर्ताओं, थोक-विक्रेताओं, एग्रीगेटर, बड़े खुदरा विक्रेताओं, निर्यातकों के साथ व्यवसाय करने में पहले से बेहतर तरीके सक्षम बनाएगी और उन्हें अपने उत्पादों को बेचने के लिए एकसमान अवसर प्राप्त होगा। यह बाजार की अस्थिरता के जोखिम को किसानों से प्रायोजकों पर स्थानांतरित कर देगी और किसानों को नवीन तकनीकों और बेहतर आदानों का उपयोग करने में समर्थ बनाएगी। यह अधिनियम किसानों को पर्याप्त सुरक्षा सुनिश्चित करेगी। किसानों के खेत की बिक्री, पट्टे पर देना या बंधक रखना पूरी तरह से

2 राज्य मंत्रियों की समिति, कृषि विपणन सुधारों के प्रभारी मंत्रालय, भारत सरकार, 2013 की अंतिम रिपोर्ट।

प्रतिबंधित रहेगा तथा किसी प्रकार की रिकवरी के विरूद्ध किसानों के खेत की सुरक्षा की जाएगी। किसानों के पास समझौते में अपने पसंदीदा उत्पाद की कीमत तय करने का पूरा अधिकार होगा। उन्हें अधिकतम 3 दिनों में भुगतान प्राप्त होगा। संपूर्ण देश में लगभग 10000 किसान उत्पादक संगठनों का गठन किया जा रहा है। ये एफपीओ छोटे किसानों को एकसाथ लाने और खेत में पैदा होने वाले फसलों की उचित कीमत दिलाना सुनिश्चित करेंगे। समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद, किसानों को व्यापार करने की परेशानी नहीं झेलनी पड़ेगी। खरीद करने वाला उपभोक्ता सीधे खेत से ही उत्पाद ले जाएगा।

7.69 आवश्यक वस्तु (संशोधन) अधिनियम, 2020 का उद्देश्य जिंसों जैसे अनाजों, दालों तिलहनों, प्याज और आलू को आवश्यक वस्तुओं की सूची से निकालना है ताकि व्यावसायिक कार्यों में अत्यधिक विनियामक हस्तक्षेप के निजी निवेशकों के डर को दूर किया जा सकें। उत्पादन करने, भंडारण करने, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने, वितरण और आपूर्ति करने की स्वतंत्रता वृहद पैमाने पर अर्थव्यवस्था के उपयोग को प्रोत्साहित करेगी और निजी क्षेत्र/विदेशी निवेश को कृषि क्षेत्र में निवेश करने के लिए आकर्षित करेगी। यह कानून कोल्ड स्टोरेज और वाद्य आपूर्ति श्रृंखला के आधुनिकीकरण में निवेश को प्रोत्साहित करेगी।

7.70 कृषि सुधारों से संबंधित तीन कानूनों का निर्माण और उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों को लाभ पहुँचाने के उद्देश्य से किया गया है, जिनकी कुल संख्या 85 प्रतिशत के आस-पास है और जो प्रतिगामी एपीएमसी नियंत्रित बाजार का सबसे बड़ा पीड़ित है। हाल ही में पेश किया गया कृषि कानून किसानों को स्वतंत्र समावेशी बाजार में पदार्पण के नए युग की शुरुआत है और यह भारत में खेती-बारी में सुधार की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा।

बॉक्स 3: कृषि बाजार सुधार और आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन की अनुशंसा करने वाली रिपोर्ट के कुछ का उदाहरण

1. **कृषि विपणन के सुदृढ़ीकरण और विकास पर विशेषज्ञ समिति - अध्यक्ष: श्री शंकरलाल गुरु (जून 2001)**
   समिति ने मौजूदा नीतियों, विनियमों और विधिक प्रावधानों में व्यापक आमूल-चूल परिवर्तन की जरूरत पर जोर दिया, जो एक मुक्त विपणन प्रणाली के मार्ग में बाधा उत्पन्न करते हैं। रिपोर्ट में यह उल्लेख किया गया है कि प्रत्यक्ष विपणन वैकल्पिक विपणन संरचना में से एक है जिसे बढ़ावा दिया जाना आवश्यक है और निजी क्षेत्र की भूमिका को एपीएमसी के दायरे से बाहर प्रोत्साहित किया जा सकता है। गुणवत्ता आश्वासन, ग्रेडिंग के मानकीकरण और गुणवत्ता नियंत्रण के लिए अवसंरचना के विकास की आवश्यकता पर जोर दिया गया। इसने आवश्यक वस्तु अधिनियम को निरस्त करने की अनुशंसा की ताकि बाजार की ताकतों को स्वतंत्र रूप से कार्य करने का अवसर प्राप्त हो सकें।

2. **रोजगार के अवसरों पर कार्यबल की रिपोर्ट - अध्यक्ष: श्री मोंटेक सिंह अहलूवालिया (जुलाई 2001)**
   टास्क फोर्स की अनुशंसा के अनुसार विनियंत्रण का लाभ कृषि को दिया जाना चाहिए और आवश्यक वस्तु अधिनियम को निरस्त किया जाना चाहिए। रिपोर्ट में अनुशंसा की गई है कि एपीएमसी के माध्यम से कृषि उपज के विपणन पर लगे हुए प्रतिबंध को हटा दिया जाना चाहिए क्योंकि वे एक राष्ट्रीय बाजार के विकास में बाधक हैं।

3. **विपणन सुधार पर अंतर-मंत्रालयी कार्यबल - अध्यक्ष: श्री आर.सी.ए. जैन (जुलाई 2001)**
   टास्क फोर्स ने अनुशंसा की है कि राज्य सरकारों को एपीएमसी अधिनियमों में संशोधन करना चाहिए चाहिए ताकि निजी क्षेत्र को वैकल्पिक विपणन अवसंरचना और समर्थन सेवाओं को विकसित करने में सक्षम बनाया जा सके। इसके अनुशंसा के अनुसार कृषि उत्पादों के भंडारण पर प्रतिबंध को हटाने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन किया जाना चाहिए है ताकि निजी क्षेत्र में पर्याप्त भंडारण क्षमता विकसित की जा सके।

4. **कृषि विपणन पर मॉडल अधिनियम - (सितंबर 2003)**

मॉडल अधिनियम के अधीन, कानूनी व्यक्तियों, उत्पादकों और स्थानीय अधिकारियों को मौजूदा प्रावधानों जो केवल राज्य सरकारों की पहल पर बाजार स्थापित करने की अनुमति देते हैं, के विरूद्ध किसी भी क्षेत्र में कृषि उपज के लिए नए बाजारों की स्थापना के लिए आवेदन करने की अनुमति दी गई थी। नतीजतन, एक बाजार क्षेत्र में, निजी व्यक्तियों, किसानों और उपभोक्ताओं द्वारा एक से अधिक बाजार स्थापित किए जा सकते हैं। एपीएमसी द्वारा नियंत्रित मौजूदा बाजारों के माध्यम से अपनी उपज बेचने के लिए उत्पादकों पर कोई बाध्यता नहीं होनी चाहिए।

5. **किसानों की सेवा करना और कृषि कार्य की सुरक्षा करना - किसानों पर राष्ट्रीय आयोग-की पहली रिपोर्ट - अध्यक्षः डॉ. एम.एस. स्वामीनाथन (2004)**

इस रिपोर्ट में फसल कटाई के बाद के प्रबंधन पर ध्यान देने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि अंगूर उत्पादक संघ, एनडीडीबी, आदि द्वारा सफलतापूर्वक पैकिंग हाउस" की प्रसिद्ध अवधारणा को अपनाने वाले प्रत्येक उत्पादन क्षेत्र के लिए कटाई के बाद के प्रबंधन के लिए बुनियादी ढांचे की योजना बनाई जानी चाहिए। रिपोर्ट में कहा गया है कि इस प्रणाली को विकेन्द्रीकृत करने के लिए प्रत्येक राज्य द्वारा एपीएमसी अधिनियम में तत्काल संशोधन करना जरूरी है और उत्पादकों को बेहतर लक्ष्य सुनिश्चित करने और उपभोक्ताओं को उचित गुणवत्ता वाले उत्पादों को प्राप्त करने के अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अन्य हितधारकों को विपणन के लिए अनुमति देना जरूरी है।

6. **किसानों की सेवा करना और कृषि कार्य को सुरक्षित रखना - संकट से लेकर आत्मविश्वास तक - किसानों पर राष्ट्रीय आयोग की - दूसरी रिपोर्ट - अध्यक्षः डॉ. एम.एस. स्वामीनाथन (2005)**

रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि एपीएमसी और राज्य कृषि बोर्डों की भूमिका को स्थानीय उत्पादों और बेहतर विपणन प्रथाओं के लिए बाजारों के विकास और संवर्धन से विनियमन तक परिवर्तन की जरूरत है।

7. **किसानों की सेवा और खेती की बचत 2006: कृषि नवीकरण का वर्ष - तीसरी रिपोर्ट - किसानों पर राष्ट्रीय आयोग - अध्यक्षः डॉ. एम.एस. स्वामीनाथन (2005)**

सरकार को प्राथमिक कृषि वस्तुओं पर बाजार शुल्क को पूरी तरह से समाप्त करना और विभिन्न सेवाओं जैसे लोडिंग, अनलोडिंग, एपीएमसी यार्ड में वजन और बाजार अवसंरचना के उपयोग के लिए एक समेकित सेवा शुल्क वसूल करने की जरूरत है। यह कहा गया कि निजी मंडियों की स्थापना के लिए सहकारी समितियों सहित निजी कंपनियों को अनुमति देना किसानों को एक विकल्प उपलब्ध कराने और उच्चतर रिटर्न देने के लिए एक बड़ा कदम होगा। आवश्यक वस्तु अधिनियम को निलंबित स्थिति में रवा जा सकता है और आपातकालीन स्थिति में केवल सरकारी अधिसूचना द्वारा पुनर्स्थापित किया जा सकता है। रिपोर्ट में इस तथ्य की भी अनुशंसा की गई है कि कुछ वर्षों के लिए निलंबित स्थिति में रखने के प्रभाव को देवने के बाद आवश्यक वस्तु अधिनियम को समाप्त किया जा सकता है।

8. **किसानों की सेवा करना और कृषि कार्य को बचाना जय किसानः किसानों के लिए एक मसौदा राष्ट्रीय नीति - किसानों पर राष्ट्रीय आयोग की - चौथी रिपोर्ट - अध्यक्षः डॉ. एम.एस. स्वामीनाथन (2006)**

निजी क्षेत्र या सहकारी समितियों को बाजार स्थापित करने, विपणन अवसंरचना और समर्थन सेवाओं का विकास करने, शुल्क वसूल, एपीएमसी/ लाइसेंस प्राप्त व्यापारियों की मदद के बिना विपणन की अनुमति देने आदि के लिए राज्य एपीएमसी अधिनियमों में संशोधन करना समय की मांग है। इसके अलावा रिपोर्ट आवश्यक वस्तु अधि नियम की समीक्षा की आवश्यकता को रेखांकित करती है।

9. **किसानों की सेवा करना और कृषि कार्य को बचाना - पांचवीं रिपोर्ट संसकरण I और II - किसानों पर राष्ट्रीय आयोग - अध्यक्षः डॉ. एम.एस. स्वामीनाथन (2006)**

पूर्ववर्ती रिपोर्ट के समान यह रिपोर्ट विशेष रूप से एपीएमसी और आवश्यक वस्तु अधिनियम के संदर्भ में कृषि क्षेत्र में सुधार की जरूरत को रेवांकित करती है।

10. राज्य कृषि विपणन (विकास और विनियमन) नियम, 2007 का मसौदा

ड्राफ्ट मॉडल एपीएमसी नियम, 2007 अन्य बातों के साथ-साथ बाजार समितियां के कार्यपद्धति का विवरण देता है।

11. सुधारों को बढ़ावा देने के लिए राज्य मंत्रियों की समिति, कृषि विपणन के प्रभारी की अंतिम रिपोर्ट

राज्य मंत्रियों ने एपीएमसी अधिनियम में संशोधन और खुले और पारदर्शी मानदंडों के साथ पंजीकरण की प्रगतिशील प्रणाली के साथ व्यापारियों/कमीशन एजेंटों के लाइसेंस की प्रणाली को बदलने की अनुशंसा की थी। रिपोर्ट में निजी क्षेत्र को बाजारों की स्थापना करने, संचालित करने और प्रबंधित करने की अनुमति देने की आवश्यकता को भी रेखांकित किया गया।

12. बजट 2017-2018

यह अनुशंसा की गई थी कि बाजार में सुधार किए जाएंगे और राज्यों से खराब होने वाले वस्तुओं को एपीएमसी से निकालने के लिए कहा जाएगा ताकि किसानों अपनी उपज को एपीएमसी से बाहर बेच सके और बेहतर मूल्य प्राप्त कर सकें।

13. कृषि पर स्थायी समिति, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय (कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग): कृषि विपणन और साप्ताहिक ग्रामीण हाट की भूमिका (2018-19)

समिति ने पाया कि विभिन्न कारणों जैसे एपीएमसी बाजारों में व्यापारियों की सीमित संख्या की वजह से प्रतिस्पर्द्धा की कमी, व्यापारियों की आपस में सांठ-गांठ, बाजार शुल्क, कमीशन शुल्क के नाम पर अनुचित कटौती, आदि की वजह से देश भर में एपीएमसी बाजार किसानों के हित के लिए काम नहीं कर रहे है। समिति का यह मत था कि उत्पादन केंद्र के पास कृषि उपज के विपणन के लिए वैकल्पिक मंच के निर्माण की जरूरत है ताकि किसानों को उनकी उपज के लिए पारिश्रमिक मूल्य मिल प्राप्त हो सके। ये विपणन मंच उन्हें किसानों को कृषि विस्तार सेवाएं भी दे सकती हैं जो खेती के लिए इनपुट लागत को कम करने में मददगार साबित होगी।

14. कई **आर्थिक सर्वेक्षणों** ने एपीएमसी के क्रियाकलाप और इस तथ्य पर चिंता व्यक्त की है कि वे एकाधिकार को बढ़ावा देते हैं। विशेष रूप से, वर्ष 2011-12, 2012-12, 2013-14, 2014-15, 2016-17, 2019-20 के लिए आर्थिक सर्वेक्षण इस संदर्भ में सुधारों पर केंद्रित था। कृषि वस्तुओं का अवरोध मुक्त भंडारण और परिवहन सुनिश्चित करने के लिए, कृषि उपज के विपणन के सुझावों में किसानों को अपने उत्पादों को सीधे एक प्रसंस्करण कारवाने या निजी क्षेत्र को बेचने, कृषि विपणन अवसंरचना के विकास, राज्य एपीएमसी अधिनियमों और आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन को शामिल करने की आवश्यकता शामिल है।

15. संसद तीन अधिनियम पारित किये है, जिसका उद्देश्य कृषि सुधारों का सूत्रपात करना है

- किसानों का उत्पादन व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) अधिनियम, 2020
- मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा अधिनियम, 2020 पर किसान (सशक्तिकरण और संरक्षण)
- आवश्यक वस्तु (संशोधन) अधिनियम, 2020

भावी योजना

7.71 ग्रामीण क्षेत्र – जो पूरी तरह से कृषि पर आश्रित है-के विकास के बिना भारत के समेकित विकास के स्वपन को साकार नहीं किया जा सकता है। भारत की लगभग आधी श्रमशक्ति कृषि तथा संबद्ध कार्यों में संलग्न है जो देश के सकल योजित कीमत में 18 प्रतिशत का योगदान देती है। इस प्रकार, कृषि के क्षेत्र में विकास (वानिकी और मत्स्य-पालन सहित) का भारत में सबसे बड़े निम्न आय वर्ग के भाग्य पर दूरगामी प्रभाव पड़ता है।

7.72 हम कृषि को ग्रामीण आजीविका के जिस दृष्टिकोण से देखते हैं, उसमें आमूलचूल परिवर्तन कर कृषि को एक आधुनिक व्यवसायिक उद्यम के रूप में देखने की जरूरत हैं। इस संदर्भ में, कृषि में उत्पादन और

उत्पादन के बाद पर ध्यान देना बहुत जरूरी है ताकि उद्यम की स्थिरता और निरंतर वृद्धि सुनिश्चित की जा सकें। सिंचित क्षेत्र में वृद्धि, संकर और उच्च पैदावार वाली बीजों का उपयोग, विभिन्न किस्मों को बदलने का अनुपात और बीजों के जाँच की सुविधा में कम तेजी से उत्पादकता की समस्या के समाधान में मदद करेगी। कृषि उत्पादों के लिए पर्याप्त भंडारण की सुविधा तथा उचित कीमत उत्पादन के बाद प्रबंधन का मुख्य बिंदु होना चाहिए। अनाजों को पोषणयुक्त बनाकर पोषण परिणामों को कृषि के साथ एकीकृत करना आवश्यक है।

7.73 उत्पादन के बाद के मोर्चे पर, निम्नलिखित उपायों जैसे गाँव स्तर पर खरीद केंद्र, उत्पादन और प्रसंस्करण के बीच जुड़ाव, ग्रामीण बाजारों का विकास, एपीएमसी बाजारों के बाहर बेचने का विकल्प – किसानों के पसंद से कही भी, गदामों का जीर्णोद्धार और रेल के माल ढुलाई को बेहतर बनाकर, समर्पित फ्रेट कोरिडोर की आवश्यकता है और इसलिए इन्हें उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा हैं। इन उपायों की मदद से न केवल उत्पादन के बाद होने वाली हानियों को रोका जा सकेगा बल्कि किसानों के आय को दुगुना करने का लक्ष्य भी आसानी से प्राप्त किया जा सकेगा।

7.74 सभी व्यवसायिक उद्यमों को ज्ञान और सामग्री दोनों को अनुकूलित करने की जरूरत हैं। इसलिए, किसानों को एक उत्पादक से एक उद्यमी के रूप में परिवर्तित होने के लिए उन्हें आधारभूत शिक्षा और प्रशिक्षण देना जरूरी है। इस संदर्भ में व्यवहारिक प्रशिक्षण देने के लिए ग्रामीण कृषि स्कूलों की स्थापना के विकल्प पर विचार किया जा सकता है। पशुपालन, मत्स्यपालन और डेयरी सहित संबद्ध क्षेत्र धीरे-धीरे कृषि आय और रोजगार के महत्वपूर्ण स्रोत बनते जा रहे हैं। संबद्ध क्षेत्रों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए आवश्यक उपाय करने के साथ उनके उत्पादन के विपणन के लिए पर्याप्त प्रावधान किए जाने चाहिए। दूसरा क्षेत्र कृषि विस्तार सेवाएं है, जिस पर ध्यान देना जरूरी है। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह किसानों को बेहतरीन कृषि प्रथाओं के बारे में तकनीकी जानकारी, आदानों के उपयोग और अपने उत्पादन में मदद के लिए अन्य सेवाओं के उपयोग के बारे में मार्गदर्शन देता है।

7.75 खाद्य सब्सिडी बिल दिन-प्रतिदिन अनियंत्रित रूप से बढ़ता ही जा रहा है। यद्यपि खाद्य सुरक्षा के प्रति बढ़ती प्रतिबद्धता को देखते हुए खाद्य प्रबंधन की आर्थिक लागत को घटाना कठिन है, तथापि बढ़ती खाद्य सब्सिडी बिल पर अंकुश लगाने के लिए सीआईपी के संशोधन पर विचार करना जरूरी है।

अध्याय एक दृष्टि में

- कोविड की वजह से उत्पन्न हुए लॉकडाउन में भारतीय कृषि क्षेत्र ने अपनी लचीलता दिखाई। अन्य क्षेत्रों के निराशाजनक जीडीपी प्रदर्शन के मध्य निरंतर कीमतों पर वर्ष 2020-21 (पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार) के दौरान 3.4 प्रतिशत के विकास दर के साथ कृषि तथा संबद्ध क्षेत्र एकमात्र उज्ज्वल स्थान थी।
- सीएसओ द्वारा 29 मई 2020 को जारी किए गए राष्ट्रीय आय के अस्थायी अनुमान के अनुसार, वर्ष 2019-20 के लिए, मौजूद कीमतों पर देश के सकल योजित मूल्य (जीवीए) में कृषि तथा संबद्ध क्षेत्रों का योगदान 17.8 प्रतिशत हैं।
- इस सेक्टर में जीवीए के सापेक्ष कृषि तथा संबद्ध क्षेत्रों में सकल पूंजी निर्माण (जीसीएफ) उतार-चढ़ाव प्रदर्शित करता रहा है, जो वर्ष 2013-14 में 17.7 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2018-19 में 16.4 प्रतिशत और वर्ष 2015-16 में और घट कर 14.7 प्रतिशत रह गया।

- कृषि वर्ष 2019-20 में (चौथे अग्रिम अनुमान के मुताबिक), देश में कुल खाद्यान्न का उत्पादन 296.65 मिलियन टन रहा जो वर्ष 2018-19 के 285.21 मिलयन टन खाद्यान्न उत्पादन से 11.44 मिलियन टन अधिक था।

- वर्ष 2019-20 के लिए कृषि क्षेत्र के लिए क्रेडिट प्रवाह का लक्ष्य ₹ 13,50,000 करोड़ निर्धारित किया गया था और इस लक्ष्य के विरूद्ध ₹ 13,92,469.81 करोड़ का लक्ष्य प्राप्त किया गया। वही वर्ष 2020-21 के लिए कृषि क्षेत्र के लिए क्रेडिट प्रवाह के लिए ₹ 15,00,000 करोड़ लक्ष्य निर्धारित किया गया था और 30 नवंबर 2020 तक 973517.80 करोड़ रूपया वितरित किया गया था।

- फरवरी 2020 के बजट में किसान क्रेडिट कार्ड में पशुपालन क्षेत्र को शामिल करने की घोषणा के बाद, मिल्क कोआपरेटिव और मिल्क उत्पादक कंपनियों के लगभग 1.5 करोड़ किसानों को प्रधानमंत्री आत्म-निर्भर भारत पैकेज के अधीन किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) का लाभ दिया गया।

- मध्य जनवरी 2021 तक, मछुआरों और मत्स्यपालन करने वाले मछुआरों तथा कृषकों को कुल 44,673 किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) जारी किए गए हैं और मछुआरों और मत्स्यपालन करने वाले कृषकों के अतिरिक्त 4.04 लाख आवेदन बैंकों के पास कार्ड जारी करने के विभिन्न चरणों में लंबित हैं।

- प्रति वर्ष पीएमएफबीवाई योजना के अंतर्गत 5.5 करोड़ किसानों को लाभ प्रदान किया जाता है। इस योजना के तहत 12 जनवरी 2021 तक, 900000 करोड़ का भुगतान दावे के रूप में पहले ही किया जा चुका है। आधार को जोड़ने से दावे के निपटान में तेजी आई है और दावे का भुगतान सीधे किसानों के खाते में किया जा रहा है। यहाँ तक कि कोविड -19 महामारी के दौरान लगभग 70 लाख किसान लाभान्वित हुए और दावा लगभग 8741.30 का भुगतान लाभार्थियों को किया गया।

- पीएम-किसान योजना के अंतर्गत वित्तीय लाभ के 7वें किस्त के रूप में दिसंबर 2020 में देश के 9 करोड़ परिवारों के बैंक खातों में 180000 करोड़ रूपए जमा कराए गए है।

- वर्ष 2014-15 से 2018-19 के दौरान, पशुपालन उद्योग ने 8.24 प्रतिशत की सीएजीआर दर से विकास किया। कृषि और संबद्ध क्षेत्र के क्षेत्रवार सकल मूल्य संवर्धन के लिए राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी (एनएएस) 2020 के अनुमानों के अनुसार, कुल कृषि और संबद्ध क्षेत्र में पशुपालन का योगदान जीवीए में (निरंतर कीमत पर) 24.32 प्रतिशत (2014-15) से बढ़कर 28.63 प्रतिशत (2018-19) हो गया है। पशुपालन क्षेत्र ने वर्ष 2018-19 में कुल जीवीए में 4.19 प्रतिशत का योगदान दिया।

- वर्ष 2019-20 में भारत में अभी तक सबसे अधिक मछली उत्पादन 14.16 मिलियन टन दर्ज किया गया। साथ ही, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में मत्स्यपालन उद्योग द्वारा योजित सकल मूल्य (जीवीए) ₹ 2,12,915 करोड़ है, जो कुल राष्ट्रीय जीवीए का 1.24 प्रतिशत तथा कृषि जीवीए के 7.28 के बराबर है।

- वर्ष 2018-19 को समाप्त हुए विगत पांच वर्षों के दौरान, 2011-12 के कीमतों पर कृषि उद्योग के 3.12 प्रतिशत तथा विनिर्माण उद्योग के 8.25 प्रतिशत की तुलना में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग (एफपीआई) औसतन 9.99 प्रतिशत वार्षिक दर से विकास करता रहा हैं।

- प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अधीन, 80.96 करोड़ लाभार्थियों को अतिरिक्त खाद्यान्न उपलब्ध कराया गया था, अर्थात एनएफएसए द्वारा अनुमोदित आवश्यकता से अधिक। इस योजना के अंतर्गत प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम खाद्यान्न प्रति माह की दर से नवंबर 2020 तक मुफ्त में उपब्ध कराया गया था। लगभग 200 एलएमटी खाद्यान्न उपलब्ध कराया गया था जिसपर सरकार को 7500 करोड़ रूपए से अधिक खर्च करने पड़े। साथ ही, आत्म-निर्भर पैकेज के अंतर्गत, प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम खाद्यान्न प्रति माह की दर से पांच महीनों (मई से अगस्त) तक वितरित किया गया था। इस योजना का लाभ लगभग 8 करोड़ प्रवासी मजदूरों को मिला जो एनएफएसए या राज्य राशन कार्ड के अधीन लाभार्थी नहीं थे। सरकार ने इस योजना पर सब्सिडी के रूप में लगभग 3109 करोड़ रूपए खर्च किए।